डाक पंजीयन सं. जयपुर सिटी/101/2020-22 वर्ष : 08 अंक : 44 मूल्यः 5 रुपए पृष्ठ : 08

शिखर दृष्टि जीवन की... साप्ताहिक समाचार पत्र

हिलव्यू समाचार

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746

जयपुर >> शुक्रवार 29 अप्रैल से शनिवार 7 मई 2022

hillviewsamachar@gmail.com

सरकार रिंग्स गैंगरेप के अपराधियों को पकड़े और विष्णुदत्त को सीबीआई जाँच से न्याय मिले मेरा यही लक्ष्य है : एडवोकेट गोवर्धन सिंह

शालिनी श्रीवास्तव

जिस तरह देश के दूसरे नंबर के आरटीआई प्रणेता (आरटीआई जागरूकता लाने वाले) एडवोकेट गोवेर्धन सिंह को राजधानी की पुलिस द्वारा अनाप-शनाप धाराएं लगाकर लगातार घेरा गया है उसी तरह काश राजस्थान पुलिस उन सभी हत्यारों, बलात्कारियों और अपराधियों को पकड़ व जकड़ पाती जो नृशंस हत्याएँ व बलात्कार करके खुले आम घूम रहे हैं। इसकी जगह यह होता कि पुलिस इसी कूटनीति व कुचक्र से रिंग्स गैंगरेप व डकैती के आरोपियों को पकड़ती, जकड़ती और जेल में डालती।

राजस्थान ने महिला उत्पीड़न के केसों में जैसे महारथ हासिल करने का बीड़ा उठा लिया है। लगातार बढ़ते बलात्कारों व महिला उत्पीड़न के केसों में शासन- प्रशासन की चुप्पी या लापरवाही राजनैतिक दल और अपराधियों के उनके द्वारा संरक्षण को प्रमाणित करती आ रही है और जनता चुपचाप सर झुकाए तमाशा देख रही है गुलाम बनकर।

संध्या यादव जो कि एक पुलिस अधिकारी हैं जो आमजन की रक्षार्थ इस प्रोफेशन में आई होंगी जिनका लक्ष्य महिला उत्पीड़न के केसों को हैंडल करना होना चाहिए था, आज वह खुद बेचारी बनकर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज कराती हैं। पूरा शासन-प्रशासन जैसे कृष्ण बनकर उनकी रक्षा के लिए मैदान में आ खड़ा होता है मगर पुलिस प्रशासन इस वक़्त कृष्ण नहीं बल्कि दुर्योधन की भूमिका में डटा है इस केस में और सरकार शकुनि बन गयी है और उसके फैंके पासे के आधार पर पुलिस लगातार गोवर्धन केस पर कार्यवाही कर रही है। अभिमन्यु की भांति गोवेर्धन सिंह चक्रव्यूह में फंस गये हैं। पूरी क्रिया-प्रतिक्रिया के साथ संध्या केस को आधार बना कर गोवर्धन को बंदी बनाया जाता है और संध्या यादव केस तो कोने में खड़ा हो जाता है बाक़ी केस मुँह उठाकर खड़े किए जाने लगते हैं। हर कोई समझ रहा है कि क्या हो रहा है? रिंग्स गैंगरेप व हत्याकांड के अपराधियों को संरक्षण देती सरकार दबाव बनाती है कि इस केस से पीछे हट जाए गोवेर्धन। लेकिन जो बीड़ा कृष्ण बनकर उस रिंग्स गैंगरेप पीड़िता व परिवार के लिए गोवेर्धन सिंह ने उठाया है क्या गोवर्धन सिंह उससे पीछे हट जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस अभिमन्यु के पास कृष्ण की तरह हर चक्रव्यूह से निकलने के अनेकों सुदर्शन चक्र मौजूद हैं।

हिलव्यू समाचार 28 अप्रैल 2022 में प्रकाशित न्यूज़

मैं अंतिम साँस तक अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगाः गोवर्धन सिंह, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट

अधिवक्ता गोवर्धन सिंह ने राजस्थान में ऐसा कौनसा गोवर्धन पर्वत उठा लिया है कि शासन-प्रशासन और न्यायालयों में भूचाल आ गया है?

राजस्थान हाईकोर्ट के समय ही बाहर से वकील की वर्दी में गोवर्धन सिंह अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट को बड़ी संख्या में मौजूद सिविल वर्दी में, मास्क व मुँह पर रुमाल लपेटे पुलिस द्वारा नाटकीय ढंग से हाथ पकड़कर रोड के उस पार खड़ी पुलिस की गाड़ी में घेरा बनाकर ले जाया गया।

वे सवाल जो खड़ा करते हैं संदेह का एक बड़ा घेरा ?

वजह जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लाम्बा द्वारा गिरफ्तारी के तुरंत बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई।

(पर क्या वाकई यही वजह है?)

जयपुर। कोरोना लोकडाउन के दौरान खासा कोठी क्षेत्र में ACP रैंक की पुलिस अधिकारी संध्या यादव ने राजकार्य के दौरान बाधा उत्पन्न करने,अभद्र व्यवहार करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप लगाते हुए गोवर्धन सिंह के खिलाफ़ सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जाँच अधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होने के पश्चात जब गोवर्धन सिंह के खिलाफ़ गिरफ्तारी की स्थिति बनी तो इस पर गोवर्धन सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया किन्तु आज 27 अप्रैल को लगभग 11.30 बजे सुनवाई के बाद यह स्टे राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा हटा दिया जाने का आदेश निश्चित हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के फ़ैसले के तुरंत बाद जबकि स्टे हटने की ऑर्डर की प्रमाणित प्रति भी जारी नहीं हुई कि उससे पूर्व बिना किसी कागज़ी कार्यवाही के हाईकोर्ट के बाहर आते ही, कोर्ट टाइम के दौरान ही,कोर्ट की वर्दी में गोवर्धन सिंह को सिविल वर्दी व मास्क रुमाल मुँह पर पहने पुलिस के घेरे ने जकड़ लिया। अधिवक्ता सिंह को पूछताछ की बात कहकर सदर थाना ले जाया गया। इस तरह अचानक यह सब घटनाक्रम एक सन्देह पैदा करता है जैसे पूर्व में ही सारी तैयारी पुलिस विभाग द्वारा कर ली गई हो। सबकुछ जैसे पहले से सुनियोजित था?

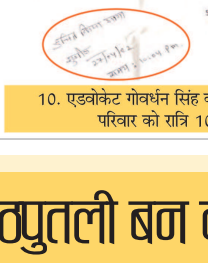

1.क्या गोवर्धन सिंह एक कुख्यात अपराधी या आतंकवादी की श्रेणी में आता है कि उसे इस धड़पकड़ अंदाज़ में पुलिस द्वारा ले जाया गया?

2. क्या महिला उत्पीड़न केसों में पुलिस इतनी ही जागरूक और फुर्तीली है?

3. इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद मीडिया को कांफ्रेंस के नाम पर पुलिस कमिश्नरेट में समेट लेना कहीं सदर थाने को मीडिया की गिरती प्रश्नों के गाज़ से बचाना तो नहीं था?

4. कहीं सरकार,न्यायालय व अन्याय के खिलाफ़ छेड़ी मुहिम का शिकार तो नहीं हो गए गोवेर्धन सिंह?

5. सच को दस्तावेज़ों के साथ सामने वाले गोवेर्धन सिंह के इरादों को डिगाने की साज़िश तो नहीं यह गिरफ्तारी की व्यूहरचना?

6. प्रदेश में गैंगरेप,महिलाओं बच्चियों की बलात्कार कर नृशंस हत्याएँ,महिला उत्पीड़न के केस आये दिन हो रहे हैं किन्तु इतना फुर्तीलापन तो पुलिस विभाग का किसी केस में नहीं देखा गया! क्या वाकई पुलिस विभाग इतना संवेदनशील है महिला उत्पीड़न सभी केसों में!

7. अभी परतें और खुलेंगी। परत-दर-परत वो खबर जिससे आम जनता बेखबर है वह अब होगी जगज़ाहिर।

8. पानी में रहकर मगर से बैर करना भारी तो नहीं पड़ गया अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को?

9. गौरतलब रहे कि गोवर्धन सिंह ने अपनी फेसबुक आईडी पर 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ज़मानदार द्वारा रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल किया और विस्तार से उसका वर्णन भी किया।

क्या फेसबुक के वाइरल वीडियो उड़ाए जा सकते हैं सिंह की आईडी से?

आज जल्दी सुबह 28 अप्रैल को पुलिस ने अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के ऑफिस में रेड डालकर कंप्यूटर सिस्टम भी ज़ब्त कर लिया। क्या गोवर्धन सिंह कच्चे खिलाड़ी हैं कि सबूतों को अपने ऑफिस तक सीमित रखे हुए होंगे? न जाने कितनी कॉपी कहाँ सेफ होंगी।

10. एडवोकेट गोवर्धन सिंह को 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे हिरासत में लिया जाकर परिवार को रात्रि 10:04 पर गिरफ़्तारी की सूचनादी गयी? क्यों

क्या राजस्थान पुलिस कठपुतली बन गयी है ?

एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लाम्बा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को एडवोकेट गोवर्धन सिंह के ख़िलाफ़ 21 मुक़दमे बताते हैं जबकि गोवेर्धन सिंह पर 2001 से लेकर अब तक 30 से ज़्यादा मुक़दमे किये गए हैं किंतु जिस तरह झूठ के पाँव नहीं होते इसी तरह इन 30 मुक़दमों में से 20 पर लगभग एफआर भी लग चुकी है और बाक़ी मुकदमे भी एफआर के पश्चात केवल निर्णय हेतु कोर्ट में लंबित हैं। यह कोई सोशल मीडिया, समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट नहीं बल्कि 17 मार्च 2020 को क्रमांक IGP/CID/CBI/JPR/151 विशाल बंसल महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान की समग्र और विस्तृत जाँच-पड़ताल के बाद की लिखित रिपोर्ट कहती है कि गोवेर्धन सिंह पर लगाये गए अधिकांश मुकदमे झूठे हैं। 70 पेज़ की इस रिपोर्ट में से निष्कर्ष रिपोर्ट की स्कैन कॉपी पेज़ 4 पर छापी गयी है जिसके साथ-साथ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जस्टिस निर्मलजीत कौर का निर्णय पत्र 400/10 13 अगस्त 2018 भी छापा गया है। जिसमें अंकित है कि गोवर्धन सिंह पर लगाये गये समस्त मुकदमे झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं और आत्मरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा गार्ड प्रदान किया जाना राजस्थान पुलिस को आदेशित है। जस्टिस निर्मलजीत कौर के सम्पूर्ण निर्णय की स्कैन कॉपी पेज नं. 5 पर अंकित है।

पुलिस महानिरीक्षक विशाल बंसल एवं जस्टिस निर्मलजीत कौर के निर्णयों की स्कैन कॉपी पेज नं. 4 और 5 पर देखी जा सकती है।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित

प्रदेश को भ्रष्टाचार इंडेक्स में नीचे लाना आप का प्रमुख उद्देश्यः विनय मिश्रा

प्रदेशभर में चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारियों और मुद्दों पर डाली रोशनी

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी पूरी गर्ज के साथ आगे बढ़ रही है। जहां राजस्थान में आम आदमी पार्टी सभी 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट चुकी है। इसी के मद्देनजर आप ने गुरूवार को प्रदेश मुख्यालय का सहकार मार्ग स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान आप दिल्ली सरकार विधायक व राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा, राजस्थान संगठन मंत्री दुष्यंत यादव, राजस्थान आप पार्टी मुख्य प्रवक्ता मयंक त्यागी, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्त्ता व सदस्यों द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही शुरू हुए आयोजनों के बीच कुन्दरकांड पाठ व हवन यज्ञ क्रिया की गई जिस दौरान काफी भरी मात्रा में कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। सभी धार्मिक रीती रिवाज़ों के तहत प्रदेश के पहले आप पार्टी के स्थाई कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान आप पार्टी राजस्थान से जुड़े सदस्यों पर से भी पर्दा हटाया गया। जहां बॉलीवुड सितारों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स ने आप पार्टी की सदस्ता ली। आप के मुख्य सदस्यों में जाने-माने कॉमेडियन ख़याली सहारन, कॉमेडियन श्याम रंगीला और एक्टर जीतू वर्मा उर्फ़ जोजो रहे। साथ ही सुभाष बांगिया, भूप सिंह सहारन, धन्नाराम मेघवाल, डॉ राजीव पंड्या, डॉ संजीव तोमर, रिटायर्ड आईपीएस दिलीप झाखड़, जीतेन्द्र सहारन और राजकुमार जोग ने आप की सदस्ता ग्रहण करते हुए राजस्थान में प्रगतिशील भविष्य में अपने योगदान की शपथ ली।

इस दौरान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा और संगठन मंत्री दुष्यंत यादव ने बताया कि आप पार्टी द्वारा लगभग महीने भर से शुरू किए गए सफल कार्याक्रमों की कड़ी में इस प्रदेश कार्यलय और वॉर रूम का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले आप पार्टी के द्वारा कार्यकर्त्ता संवाद यात्रा का पूरे राजस्थान में भव्य आयोजन किया गया। जिसके चलते राजस्थान के विभिन्न संभाग उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर सहित कई शहरों में आप के समर्थकों के साथ उनकी परेशानियां, शहर के मुद्दों और आप के दृष्टिकोण के बारे में गहन चर्चाएं की गई। मिश्रा ने आगे कहा कि आज राजस्थान की जनता अजीब उलझन में फंसी है, जहां भाजपा और कांग्रेस के आपसी मतभेदों के कारण राजस्थान का विकास अन्धकार की ओर बढ़ रहा है।

ख़बर-बेख़बर

सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं:

सहीराम गोदारा, एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर

वो शब्द जो चीख-चीख कर कहते हैं कि धर्म युद्ध के इस न्यायिक कुरुक्षेत्र में गोवर्धन सिंह दुर्योधन नहीं बल्कि कृष्ण की भाँति डटे हैं। सच्चाई के साथ खड़े रहने का दंड भोगने वाले एडवोकेट गोवर्धन सिंह अत्याचार, तानाशाही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नायक के रूप में सम्पूर्ण युद्ध के एकमात्र योद्धा बन गए हैं।

27 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर से वकील की वर्दी में गोवर्धन सिंह अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट को बड़ी संख्या में मौजूद सिविल वर्दी में, मास्क व मुँह पर रुमाल लपेटे पुलिस द्वारा नाटकीय ढंग से हाथ पकड़कर रोड के उस पार खड़ी पुलिस की गाड़ी में घेरा बनाकर ले जाया गया जिसमें हवाला दिया गया कि अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा मात्र पूछताछ के लिए कमिश्नरेट बुला रहे हैं लेकिन ले जाया गया सदर थाने में। गोवर्धन जलती हुई मशाल है भ्रष्टाचार और अत्याचार के अंधेरों के ख़िलाफ़ आइये उस मशाल की रोशनी से रूबरू होते हैं। गोवर्धन सिंह के साथी एडवोकेट सहीराम गोदारा से हिलव्यू समाचार सम्पादक शालिनी श्रीवास्तव की सीधी बातचीत के कुछ अंश-

1. गोवर्धन सिंह जी की गिरफ़्तारी को लेकर थोड़ा प्रकाश डालें और यह भी बताएं कि गिरफ्तारी के दौरान किस पूछताछ के तहत पुलिस कस्टडी में रखा गया है?

उत्तर : केस था कि ख़ासा कोठी, जयपुर अप्रैल 2020 में लोकडाउन ड्यूटी के दौरान एसीपी संध्या यादव से गोवर्धन सिंह ने अभद्रता की थी। जिसके चलते संध्या यादव ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज की। उस सबंध में गिरफ़्तारी के ऑर्डर पर गोवेर्धन सिंह हाइकोर्ट से स्टे ले आये। जिसका स्टे 27 अप्रैल 2022 को 2 साल बाद अचानक खारिज हो गया और स्टे वेकेट होने के तुरंत बाद बिना ऑर्डर शीट जारी हुए गोवेर्धन सिंह को हाईकोर्ट समय में ही वर्दी के साथ बिना किसी वारंट के गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद गिरफ्तारी 7 दिन की रिमांड 4 मई 2022 तक, फिर 3 दिन की रिमांड यानी 7 मई 2022 तक,फिर ज्यूडिशियल कस्टडी 9 मई 2022 तक खींच दी गयी। रिमांड में प्रश्न संध्या यादव मसले के नहीं बल्कि रिंग्स गैंगरेप केस से हटवाने हेतु, मुक़दमा वापस लेने हेतु दबाव के साथ व विष्णुदत्त केस में सीबीआई जाँच के सबूतों के सम्बंध में पूछे जा रहे हैं.....क्यों?

2. वह कौन सा मुक़दमा है जिसे वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और विष्णुदत्त केस का क्या मसला है?

उत्तर : जोधपुर रींगस में एफ आई आर 237/17 दर्ज हुई थी। उसमें प्रथम अनुसंधान अधिकारी ने माना कि पुलिसकर्मी व अपराधियों की मिलीभगत से रात 1:30 बजे जोधपुर रींगस में डकैती व गैंगरेप को अंजाम दिया गया है। दूसरे अनुसंधान अधिकारी ने भी इस जुर्म को प्रमाणित किया और तीसरे अनुसंधान अधिकारी ने भी इस जुर्म का होना प्रमाणित किया किंतु इसी तीसरे अनुसंधान अधिकारी ने अचानक इसमें एफआर लगा दी क्योंकि भूपेंद्र यादव पूर्व डीजीपी,महादेव सिंह खंडेला श्रीमाधोपुर विधायक, एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह सागर, संजय क्षोत्रिय व राजस्थान के आलाकमान मुख्यमंत्री ने इस एफआईआर में एफआर लगाने का दबाव बना दिया क्योंकि वह कांग्रेस की गिरावट का वक्त था। अतः मिलीभगत कर इस केस को दबा दिया गया। इस केस को पुनः गोवर्धन सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने सम्पूर्ण बयानात व सबूतों के आधार पर माना कि यह संगीन अपराध हुआ है और इस पर एफआर वाज़िब नहीं है और 156/3 के आदेश के तहत पुनः एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए उसमें लिप्त समस्त मंत्रियों, अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। अब उसी केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। विष्णु दत्त शर्मा ने आत्महत्या की थी उनकी सीबीआई जांच के लिए भी गोवर्धन सिंह ने प्रयास किए तत्पश्चात मामला सीबीआई को सौंपा गया उस जांच में दिए सबूतों को जानने के लिए भी इस रिमांड के दौरान दबाव बनाया जा रहा है।

3. पुलिस कस्टडी इतनी लंबी खिंच गयी है कोई विशेष वजह?

उत्तर : जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि संध्या यादव केस के लिए गिरफ्तारी हुई है लेकिन उस संबंध में कोई पूछताछ नहीं कर के केवल 237/17 और विष्णु दत्त के सीबीआई जांच में दिए गए सबूतों की ही बार बार पूछताछ की जा रही है। संध्या यादव प्रकरण मामूली सा था किंतु पुलिस गोवर्धन सिंह को तोड़ना चाहती है और कुल मिलाकर 4 मुद्दों पर ही बात की जा रही है--

1. लोअर कोर्ट 156/3 में जो आदेश हुआ है वापस लेने का दबाव

2. गोवर्धन सिंह के ख़ास मित्र, अधिकारी, बड़े लोगों से संपर्क और संबंध का विवरण मांगा जा रहा है।

3. विष्णु दत्त केस में सीबीआई को क्या सबूत दिए है?

4. कम से कम 40 खाली सादे कागज़ों पर गोवर्धन सिंह के हस्ताक्षर करवाए गए हैं जबकि गोवर्धन सिंह कोर्ट की आर्डर शीट पर भी बिना पूर्णता और पढ़े बिना हस्ताक्षर नहीं करते हैं। पुलिस कस्टडी बढ़ाने का षड्यंत्रकारी रवैया साफ ज़ाहिर हो रहा है क्योंकि इनमें से किसी भी मामले में अब तक पुलिस गोवर्धन सिंह को नहीं तोड़ पाई है।

4. कहा जाता है कि गोवर्धन सिंह एक ब्लैकमेलर है और 23 करोड़ उनके खाते में पाए गए हैं इसमें कितनी सच्चाई है?

उत्तर : हमारा पेशा वकील का है और बिना सबूतों और बिना किसी दस्तावेजों के आधार पर किसी भी बात को कहने से पहले हम 100 बार सोचते हैं लेकिन आप सामान्य आम आदमी और अफवाहों पर बंदिश नहीं लगा सकते। एकमात्र प्रिंट मीडिया के छापने से यह जाहिर नहीं हो जाता कि 23 करोड गोवर्धन सिंह के खाते में मिले। इसके लिए आपके सामने इनकम टैक्स का सबूत बहुत बड़ा है कि इनकम टैक्स ने बिना किसी पेनल्टी के गोवर्धन सिंह व उनके रिश्तेदार, मित्रों के सभी सीज खाते 2010 में बिना एक रुपये की पेनल्टी लगाए ही खोल दिए थे। यह अफ़वाह 2010 से ही फैलाई गई है। तब से लेकर आज तक के लिए मैं चुनौती देता हूँ कि अगर केवल गोवर्धन सिंह ही नहीं बल्कि सभी 24 खाते जो सीज किए गए हैं उनका कुल मिलाकर 23 लाख रुपया भी हो जाए तो या तो मैं अपनी वकालत की गाउन उतार दूँगा या पुलिस अपनी वर्दी व मीडिया अपना काम छोड़ दें। कोई भी बात झूठ फैलाना,अफवाह फैलाना आसान हो सकता है लेकिन सबूतों के आधार पर उन्हें साबित करना बहुत मुश्किल है।

5. और कौन से प्रयास दबाव के लिए पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे हैं?

उत्तर : जब से गिरफ़्तारी का स्टे वेकेट हुआ है गोवर्धन सिंह जी को गिरफ़्तार कर लिया गया है उसके बाद से उनके साथी, मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार और परिवार सभी को परेशान किया गया है। हमारे ऑफिस से कंप्यूटर सिस्टम, पेनड्राइव, ज़रूरी फाइलें पुलिस उठाकर ले गयी है। यहाँ तक कि वर्क डायरी को उठाकर ले गए जिसमें हमारे सारे जॉब वर्क लिखे गए हैं कि कब कौनसा केस है, कब तारीख़ है? सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक रूप से हमें तोड़ने के प्रयास किये गए हैं। खाते सीज़ कर दिए गए हैं। परमेश्वर पिलानिया जो कि हमारी टीम के सीनियर साथी हैं उनके घर, परिवार, रिश्तेदार, खेत-खलिहान सभी जगह उन्हें तलाशा जा रहा है जैसे वो कोई सरगना अपराधी या आतंकवादी हो। गोवर्धन सिंह के साथ भी इस तरह व्यवहार किया जा रहा है जैसे वह कोई सरगना अपराधी या आतंकवादी हो। मैं सरकार व पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह व्यवहार उन्हें रींगस के गैंगरेप अपराधियों व उन भ्रष्ट अधिकारियों से नहीं करना चाहिए था जिन्होंने विष्णु दत्त शर्मा को आत्महत्या करने पर मज़बूर किया। क्या गैंगरेप पीड़िता के प्रति न्याय का यही दृष्टिकोण पुलिस या सरकार अपना रही है?

6. हथियार का लाइसेंस इन्हें कैसे मिला और अब रद्द क्यों कर दिया गया?

उत्तर : पिटीशन संख्या 400 /10 जो जोधपुर में लगी थी उसमें कोर्ट ने 2018 में गोवर्धन सिंह की जानमाल की सुरक्षा के लिए आर्डर किए थे कि गोवर्धन सिंह को सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाया जाए लेकिन पुलिस की तरफ़ से गार्ड एक दिन देकर हटा दिया गया और उसके पश्चात इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट से गोवर्धन सिंह ने आदेश करवाए कि उन्हें हथियार लाइसेंस दिया जाए ताकि अपनी जानमाल की सुरक्षा वे स्वयं कर सकें। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया के साथ जिसमें कि जिला कलेक्टर या कमिश्नरेट से संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्हें हथियार रखने का लाइसेंस दिया गया किंतु इस दौरान पुलिस कस्टडी में जब पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि उनके पास हथियार लाइसेंस है ज्ञात होने के दूसरे ही दिन एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें रींगस के ही गैंगरेप अपराधी के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई कि पिस्तौल दिखाकर हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 पर गोवर्धन सिंह ने एक करोड़ रुपए की फ़िरौती की मांग उससे की थी और इस तरह की साजिश रच कर उनका लाइसेंस रद्द किया गया। हर एक एफआईआर की झूठी शक्ल साफ़ नज़र आती है लेकिन अब भी लगातार झूठी बनावटी एफआईआर की जा रही हैं और केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

7. गोवर्धन सिंह जी के ख़िलाफ़ 21 एफआईआर दर्ज हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे?

उत्तर : हमें इस बात पर आश्चर्य होता है कि अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा 21 केस कैसे बता रहे हैं जबकि गोवर्धन सिंह जी पर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज़ हुए हैं और सभी मुकदमे झूठे व दुर्भावना व बदले की भावना से दर्ज किए गए प्रमाणित हो चुके हैं। इनमें से लगभग 20 मुकदमों पर एफआर लग चुकी है और शेष मुकदमे भी एफआर के साथ कोर्ट आदेश हेतु लम्बित हैं। अगर यह मुकदमे एफआर के साथ ख़त्म नहीं होते तो क्या पुलिस विभाग गोवर्धन सिंह के नाम हथियार लाईसेंस जारी करता? कुछ अफवाहें ऐसी हैं जिन्हें अगर बुद्धिजीवि दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करेंगे तो गोवर्धन सिंह का चरित्र व अब तक की यात्रा आईने की तरह साफ़ नज़र आने लगेगी लेकिन यदि दुर्भावना, द्वेष व ईर्ष्या से इस केस को देखा जाएगा तो सब कुछ धुंधला ही नज़र आएगा।

जीत हमेशा सत्य की हुई है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं बस इसी सिद्धांत को मन में लिए गोवर्धन सिंह और उनके साथी, परिवार व रिश्तेदार अडिग है और एक दिन सफ़ल अवश्य होंगे।

कौन कहता है कि गोवर्धन सिंह अकेला है राजस्थान ही नहीं पूरे देश से माननीय राज्यपाल के नाम असंख्य ज्ञापन व विरोध पत्र लगातार जारी हो रहे हैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह की कमाई 23 करोड़ हो ना हो लेकिन भारत के करोड़ों लोगों की दुआएँ उनके खाते में दर्ज हैं जिसका सशक्त प्रमाण कुछ चुनिंदा ज्ञापन व तस्वीरें यहाँ शेयर की जा रही हैं। होने को असंख्य ज्ञापन व विरोध पत्र हैं, सभी को छापना सम्भव नहीं लेकिन यह अभियान एक आन्दोलन बन कर पूरे देश में उभरने लगा है। लगातार झूठी एफआईआर और सोये पड़े हुए मुद्दे सर उठाने लगे हैं लेकिन क्या सत्यता का प्रकाश झूठ के अंधकार को मिटा नहीं देगा। महाराष्ट्र से लेकर मध्यप्रदेश तक और दिल्ली से लेकर राजस्थान के एक छोटे गाँव तक इस आन्दोलन की चिंगारी पहुँच चुकी है जिसे बुझा पाना सियासी ताक़तों के वश में नहीं।

नवी मुंबई से व्यापारियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के समर्थन में ज्ञापन तैयार कर स्पीड पोस्ट से भिजवाया गया। (हिलव्यू समाचार)

सुनवाई के दौरान जयपुर कोर्ट के बाहर गोवर्धन समर्थक अधिवक्ताओं की अच्छी ख़ासी भीड़ जमा होती है और परिसर में इंकलाब ज़िंदाबाद के नारे गूँजने लगते हैं। क्या अब भी राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है?(हिलव्यू समाचार)

जिला एंव सेशन न्यायालय जयपुर की द बार एसोसिएशन ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह व सहयोगी वकील साथियों को पुलिस व सरकार द्वारा झूठे मामलों में प्रताड़ित करने के विरुद्ध ज्ञापन दिया व अधिवक्ता साथियों ने बैठक कर इस तानाशाही के ख़िलाफ़ मिल कर आवाज़ उठाने का निर्णय किया। (हिलव्यू समाचार)

समर गौड़ RTI ने राजस्थान पुलिस, प्रशासन एवं सरकार द्वारा गोवर्धन सिंह के साथ की जा रही प्रताड़नाओं, अन्याय व अत्याचार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली के समक्ष विस्तार से रखा। **माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त ने मुख्य सचिव राजस्थान से इस पर दिनांक 17.05.2022 तक रिपोर्ट तलब की है।** (हिलव्यू समाचार)

पंकज जोया
सदस्य
सलाहकार समिति

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली, भारत सरकार

क्रमांक :- 13/2022
दिनांक :-04.05.2022

महामहिम राज्यपाल महोदय
जयपुर – राजस्थान

विषय :- आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित होकर दर्ज कराए गए सभी मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने उनके परिवार के सदस्यों व साथियों को बेवजह तंग परेशान प्रताड़ित नहीं करने के संबंध में|

महोदय,

उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट श्री गोवर्धन सिंह राजस्थान सरकार व पुलिस के विरुद्ध प्रकरणों में मुखरता से पैरवी करते हैं तथा प्रशासन से पीड़ित नागरिकों की आवाज बनकर पर पीड़ित आमजन को न्याय दिलाने का काम करते रहे है सोशल मीडिया के माध्यम से भी श्री सिंह आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम बड़ी ही कुशलतापूर्वक करते है जिसके कारण इनके चाहने वालो की संख्या लाखों में है इसी कारण राज्य सरकार व पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी श्री सिंह को झूठे मुकदमों में उलझाकर आम जनता को उनके अधिकारों के मूल्यों की जानकारी से वंचित रखना चाहती है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह के विरुद्ध राजनीति द्वेषता से प्रेरित होकर दर्ज कराए गए सभी मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने तथा उनके परिवार के सदस्य व साथियों को बेवजह तंग परेशान व प्रताड़ित करने के संबंध में उच्च अधिकारी को निर्देशित किया जावे |

धन्यवाद

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-
:- श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय ,राजस्थान पुलिस (जरिये ईमेल)

सादर

Scanned by TapScanner

पंकज जोया, पूर्व सदस्य केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड नई दिल्ली एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार संगठन ने अधिवक्ता गोवर्धन सिंह की अवैध गिरफ़्तारी व स्वच्छ अनुसंधान के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल व पुलिस महानिदेशक व IG सिविल रॉट्स को पत्र लिखा है। (हिलव्यू समाचार)

जिला एवं सत्र न्यायालय, रेवाड़ी के साथी अधिवक्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर अधिवक्ता गोवर्धन सिंह की अवैध गिरफ़्तारी और पुलिस द्वारा उन पर किए जा रहे झूठे मुक़दमों को लेकर विरोध जताया। (हिलव्यू समाचार)

बीकानेर विधि छात्र हेमन्त कातेला व उसके साथी समूह ने राज्यपाल को गोवर्धन सिंह गिरफ़्तारी के विरोध में ज्ञापन दिया एवं अधिवक्ताओं के प्रति इस प्रकार होने वाले कुव्यवहार एवं राजनैतिक द्वेषपूर्णता की घोर निंदा की। (हिलव्यू समाचार)

गोवर्धन सिंह के लिए एक माँ की दुआ

4 मई को अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया उस समय न्यायालय परिसर में शाहीन आँखो में आंसू लिए बैठी थी। किसी वकील साथी ने उस बूढ़ी माँ से रोने और कोर्ट परिसर में आने का कारण पूछा तो अपने 2 बेटों के साथ आयी उस माँ ने बताया कि साहब मेरे दोनों बेटे जेल में थे और हम बहुत गरीब होने के कारण अपने बेटों की ज़मानत नहीं करवा पा रहे थे फिर हमें हमारे किसी जानकार ने वकील साहब गोवर्धन जी के पास भेजा वकील साहब ने हमारे हालात को देखते हुए 1 रुपया भी फ़ीस नहीं ली और मेरे दोनों बेटों की ज़मानत हाईकोर्ट से करवा दी। कोर्ट परिसर में जब उस बूढ़ी माँ को अधिवक्ता गोवर्धन सिंह से मिलवाया गया तो वो फूट-फूट कर रोने लगी और उनके लिए दुआ करने लगी। (हिलव्यू समाचार)

वीरेन्द्र राजपुरोहित, पाली

मैं एक पत्रकार हूँ। एक मामले में मैंने एक श्रमिक नेता रामनाथ सिंह की संदिग्ध मौत पर सच्चाई लिखकर ख़बर चलाई जिसमे श्रमिक नेता के पुत्र ब्रजमोहन सिंह ने पाली पुलिस के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि मेरे निर्दोष पिता को पुलिस ने कस्टडी के दौरान भयंकर मारपीट की जिस वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई है यह ख़बर लगाते ही तत्कालीन पाली SP राहुल कोटोकि IPS व थानाधिकारी गौतम जैन ने एक षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर भी एक फर्जी केस कर दिया और मेरी भी हत्या की साजिश रच डाली लेकिन मैं पाली से निकल गया। इस मामले में मेरी एडवोकेट गोवर्धन सिंह व एडवोकेट रज्जाक हैदर ने बहुत मदद की। इन्होंने हाइकोर्ट जोधपुर में मेरी निःशुल्क पैरवी कर मुझे राहत दिलवाई मुझसे आज दिन तक गोवर्धन सिंह जी ने एक रुपया नहीं लिया वकील साहब अच्छे, सच्चे, नेकदिल आदमी है हमेशा गरीबो की मदद करते है भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के ख़िलाफ़ बुलंदी से आवाज़ उठाते है। (हिलव्यू समाचार)

बीदासर तहसील से युवा वर्ग और परमेश्वर पिलानियां टीम ने माननीय राज्यपाल हेतु एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। (हिलव्यू समाचार)

अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के ऊपर सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरोध में लूणकरणसर के जागरूक अधिवक्तागण एवम साथीगण द्वारा माननीय राज्यपाल के नाम से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे कर निष्पक्ष अनुसंधान करने एवम पुलिस द्वारा अधिवक्ता साथियों एवम उनके पारिवारिक सदस्यों को किए जा रहे बेवज़ह परेशान करने को रोकने का निवेदन किया तथा साथ में ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि यदि पुलिस द्वारा ऐसे झूठी एफआईआर की जाती रही तो लूणकरणसर में सरकार के विरोध में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। (हिलव्यू समाचार)

विकलांग हो या विधवा महिला, जरूरतमंद हो या ग़रीब किसान गोवर्धन सिंह ने सभी को उसी तरह ट्रीट किया जैसे अपने सक्षम क्लाइंट्स को करते हैं। विकलांग व्यक्ति की प्रासीडिंग के लिए ऑफिस के बाहर सीढ़ी पर बैठ कर भी काम को अंज़ाम देते रहे हैं गोवर्धन सिंह। (हिलव्यू समाचार)

बगरू(जयपुर) में एडवोकेट महेंद्र कुमार शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार, बालकिशन, विजय साहू, गोपाल सोनी, कैलाश सिंह, शिवराम कुमावत आदि व्यापारियों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय, जयपुर को जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट गोवर्धन सिंह के ख़िलाफ़ विधि विरुद्ध तरीक़े से की जा रही कार्यवाही को रोके जाने की माँग की। (हिलव्यू समाचार)

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहादुरवास, पंचायत समिति मण्डावा, जिला झुन्झुनूं को बहादुरवास पंचायत के सरपंच श्री ब्रजेश सेवदा व अन्य कार्यकर्ता ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों मे निष्पक्ष जांच के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपा। (हिलव्यू समाचार)

सलमा, पाली

सलमा का कहना है कि वह पाली में 2017 से लगातार जुआ सट्टे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है जिस कारण उस पर अब तक तीन बार प्राणघातक हमले हो चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय व निवास पर जाकर परिवाद दे चुकी है, लेकिन उसकी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई, न न्याय मिला। उसके बाद एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने पूरी मदद की एक रुपया नहीं लिया और सलमा का पाली में केस भी निःशुल्क लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए न्याय की दुआ करती हूँ। (हिलव्यू समाचार)

जैसलमेर बीजेपी नेता पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी ने गोवर्धन सिंह की गिरफ़्तारी का कड़ा विरोध किया है और जनता के साथ सड़क पर उतर आए हैं और कहा है कि सरकार ने अपनी नाकामी के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले एक ईमानदार और क्रांतिकारी गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर अपनी तानाशाही का परिचय दिया है। (हिलव्यू समाचार)

चूरू अधिवक्ता संगठन

अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के मामले में चूरू जिला कलेक्टर को वहाँ के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा दुर्भावना व उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को रोकने की माँगी की है। (हिलव्यू समाचार)

सपना, श्रीगंगानगर

रींगस गैंगरेप के अपराधियों को जेल भिजवाने के क्रांतिकारी कदम पर गोवर्धन सिंह जी के साथ जो अन्याय राजस्थान सरकार कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर ज़ल्द ही कोई सही कदम नहीं उठाया गया तो यह विरोध आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। (हिलव्यू समाचार)

फ़तेहपुर (सीकर) के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मानवाधिकार संगठन ने माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर सरकार को चेताया है। (हिलव्यू समाचार)

महाजन (बीकानेर) में सामाजिक कार्यकर्ता विक्रमसिंह राठौड़, हनुमान जस्सु, रामकुमार जी लाटा, विनोद सारस्वत, शिवलाल ओझा, रणजीत सिंह रामबाग, मदन मोट, सावन पुरोहित, केलाश रंगा, केलाश पुरोहित, पवन सारद, हरिराम देहर, बलराम जस्सु, रघुनाथ शर्मा, राजेश गोस्वामी, रामकुमार भारती, शिव ठाकरानी, संजय राठी, व आस पास के क्षेत्र के युवाओं व मातृशक्ति ने मिलकर महाजन, नायब तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल महोदय, जयपुर के नाम ज्ञापन दिया। (हिलव्यू समाचार)

पूरे देश से 1000 आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मय हस्ताक्षर विरोध दर्ज किया है। 1000 कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर को छापना संभव नहीं किंतु अपने ज्ञापन में उन्होंने सूचना के अधिकार पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर प्रश्न उठाया है और गोवर्धन सिंह के समर्थन में माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा है।

अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के मामले में युवा अधिवक्ताओं सहित आमजन ने दिया ज्ञापनः श्री कोलायत जी के युवा अधिवक्ता दिलीप सिंह राजपुरोहित एवं साथी अधिवक्ताओं, आमजन ने उपखंड अधिकारी कोलायत को ज्ञापन देकर अधिवक्ता गोवर्धन सिंह की गिरफ़्तारी के मामले में विरोध प्रदर्शन किया और एडवोकेट गोर्वधन सिंह को न्याय दिलाने की मांग की। (हिलव्यू समाचार)

5 पाक विस्थापित नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता जिला कलक्टर ने दी शुभकामना और कहा जिम्मेदार भारतीय नागरिक बने

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जिला कलक्टर राजन विशाल ने गुरुवार को 5 पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। जिला कलक्टर ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करते हुये सभी को बधाई देते हुये जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनने की शुभकामना भी दी। इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारतीय नागरिक बन चुके इन 5 पाक नागरिकों में से 26 वर्षीय दीपक राम, जो 18 वर्ष पहले अपने परिवार सहित रहीम्यार खान (पाकिस्तान) से जयपुर आये थे। जो वर्तमान समय में जयपुर शहर में रहकर निजी क्षेत्र में कार्य कर अपना जीवन-यापन कर रहा है। इसी तरह 21 वर्षीय संजय कुमार जो अपने परिवार सहित रहीम्यार खान (पाकिस्तान) से जयपुर आये थे। इन्हें भी अपनी 19 वर्षीय बहन काजल के साथ आज भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र जिला कलक्टर द्वारा प्रदान किया गया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी तरह रहीम्यार खान (पाकिस्तान) से अपने परिवार के साथ जयपुर आने वाले 32 वर्षीय सिकन्दर व 19 वर्षीय ज्ञानेश्वरी को भी भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौपा गया। इस दौरान सभी ने खुशी जाहिर करते हुये कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है तथा अब वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री निवास पर 'सेवांजलि' कार्यक्रम

मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी, लगभग 2 करोड़ रूपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एकत्रित

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम 'सेवांजलि' गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया। भारत सेवा संस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ रूपए की राशि एकत्रित हुई। यह राशि 'निरोगी राजस्थान' के लिए 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' में जमा होगी।

गहलोत ने इस कार्यक्रम में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ स्मृति चिन्ह एवं उपहारों का अवलोकन किया। उन्होंने नीलामी में शामिल हुए सभी सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया।

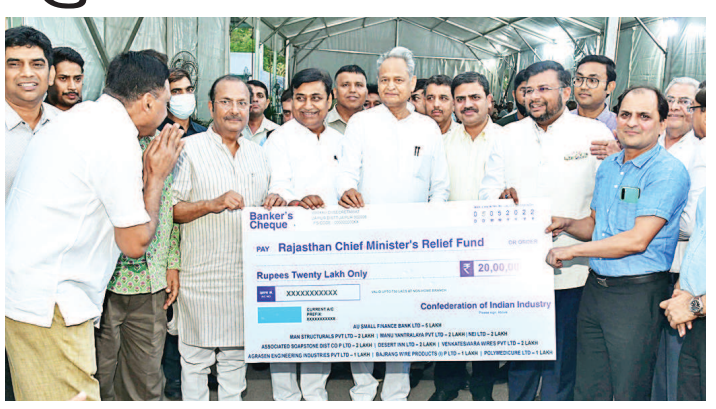

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान वर्षों से आपदा की घड़ी में सहयोग करने की महान परंपरा निभाता आ रहा है। कारगिल युद्ध, सुनामी, भूकंप, केरल में बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रदेशवासियों ने उदार मन से सहयोग किया। ऐसे सहयोग पर हम सभी को गर्व है। मुझे स्मृति चिंह एवं उपहारों के जरिये प्रदेशवासियों ने जो सम्मान दिया है, वह प्रदेशवासियों के सहायतार्थ ही काम आएगा।

भारत सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष एवं राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि राजस्थानियों ने आपदा के समय हमेशा सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। स्मृति चिंहों की नीलामी से एकत्रित राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराकर 'निरोगी राजस्थान' बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्मृति चिंह एवं उपहारों की ऑनलाइन नीलामी भी की गई थी।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बी.डी.कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, आयोजक संस्थान के सचिव जी.एस बाफना, कोषाध्यक्ष एल.डी शर्मा सहित प्रदेशभर से सहयोगकर्ता उपस्थित थे।

जोधपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा

हिलव्यू समाचार

जयपुर। उदयपुर दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर के चलते भाजपा प्रदेश में दंगे करवा रही है। सीएम गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की है कि एक कमेटी बनाकर इन दंगों की जांच करवाई जाए।

सीएम गहलोत ने गुरुवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में दंगे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। करौली और जोधपुर में हुई हिंसा के लिए सीएम गहलोत ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा दंगे और ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। सीएम गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से शांति की अपील करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों की ज़िम्मेदारी है कि वह शांति व्यवस्था क़ायम करने में सहयोग करें।

सीएम गहलोत में कहा कि भाजपा की योजना पूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में दंगा करवाने की है। पहले इन्होंने करौली में दंगा करवाया और अब जोधपुर में दंगा करवाया। पीएम ने कहा कि हमने पूरे प्रयास करके टाइम पर कार्रवाई की। इसलिए छुटपुट घटनाएं हुई, कई जगह आगजनी भी हुई है जो भी लोग हिंसा में आरोपी है उन सब को अरेस्ट कर लिया गया है। हम किसी भी कीमत पर प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो बीजेपी षड्यंत्र रच रही है उनके षड्यंत्र को भी कामयाब नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि लेकिन यह बातें आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता। इसीलिए भाजपा और आरएसएस के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और युवा पीढ़ी को बरगला रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हिंसा में जो भी लोग दोषी हो चाहे वह किसी भी धर्म-मजहब या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों उन्हें बख़्शा नहीं जाएगा।

नागौर पुलिस ने किया अवैध देह व्यापार का खुलासा, 4 महिलाओं समेत दो दलाल गिरफ्तार

नागौर। मानव तस्करी यूनिट नागौर तथा कुचेरा थाना पुलिस ने अवैध देह व्यापार का पर्दाफाश कर 4 महिलाओं और दो दलालों को गिरफ्तार किया है। नेशनल हाईवे पर कुचेरा थाना क्षेत्र में बुटाटी गांव के पास एक होटल का संचालक बाहर से लड़कियां लाकर वेश्यावृत्ति करवारहा था। पकड़ी गई युवतियां बंगाल और बिहार की रहने वाली है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि मानव तस्करी यूनिट के हेड कांस्टेबल बंसीलाल की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के सुपरविजन एवं सीओ मूण्डवा विजय कुमार सांखला के नेतृत्व में कुचेरा थाना और मानव तस्करी यूनिट द्वारा नेशनल हाईवे पर बुटाटी गांव के पास सालासर दरबार होटल में दबिश दी गई। दबिश में होटल में मौजूद दो दलाल रूप सिंह पुत्र देवकरण (41) निवासी आजाद नगर किशनगढ़ थाना मदनगंज जिला अजमेर एवं चौथा राम पुत्र हनुमान राम जाट (23) निवासी डांगावास थाना मेड़ता सिटी तथा पश्चिम बंगाल की 3 और बिहार की एक युवती को देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। होटल संचालक बाहर से लड़कियां बुलाकर वेश्यावृत्ति का धंधा करवाता था और प्रत्येक ग्राहक से 500 लेता था।

आवासन आयुक्त ने किया 'परिंडा फॉर परिंदा' अभियान का शुभारम्भ

द्वारकादास पार्क में पक्षियों के लिये बांधे परिंडे जयपुर चौपाटी मानसरोवर व्यापार मण्डल की मानवीय पहल

हिलव्यू समाचार

जयपुर। आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने गुरूवार को मानसरोवर चौपाटी के समीप द्वारकादास पार्क में परिंदों के लिये परिंडा लगाने के अभियान का शुभारम्भ किया। अरोडा ने पक्षियों के लिये वृक्षों पर परिंडा लगाकर और उसमें दाना-पानी भरकर अभियान की शुरूआत की।

आवासन आयुक्त ने जयपुर चौपाटी मानसरोवर व्यापार मण्डल की और से शुरू किये गये इस अभियान को सार्थक पहल बताया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के समय में बेजुबान पक्षियों के लिये दाना-पानी की व्यवस्था करना पुनीत कार्य है। आवासन आयुक्त ने सभी से अपनत्व की भावना रखते हुए पंछियों को संरक्षण देने की अपील की।

अरोडा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में स्थित विभिन्न पार्कों में भी अभियान के तहत अधिक से अधिक परिंडे लगाये जाएं। उन्होंने इस अभियान के लिये जयपुर चौपाटी मानसरोवर व्यापार मण्डल के सदस्यों एवं सहयोगियों रोहित शर्मा, राकेश शर्मा, रोहित मंगल, प्रताप सिंह और योगेन्द्र गुप्ता आदि को बधाई दी। आवासन आयुक्त ने इससे पूर्व आवासन मण्डल के प्रथम अध्यक्ष रहे स्वर्गीय द्वारकादास पुरोहित की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। अभियान के संयोजक श्री रोहित शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत द्वारकादास पार्क में 108 परिंडे, 51 चुग्गा ट्रे और 21 घौंसले लगाए जाएंगे।

इस अवसर पर उप आवासन आयुक्त जे.एस. बुगालिया, आवासीय अभियन्ता राजेन्द्र गुप्ता सहित आवासन मण्डल के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी वृक्षों पर परिंडे बांधे।

RH राजस्थान आवासन मण्डल
हमारा प्रयास, सबको आवास
बुधवार नीलामी उत्सव
ई-बिड सबमिशन के माध्यम से

अब! मात्र 11.55 लाख रुपये में
मात्र 409 शेष
900 वर्ग फीट पूर्ण निर्मित, रेडी-टू-शिफ्ट
सुरम्य वादियों के बीच
MGD वीकेंड होम-नायला,
जयपुर में
भारी छूट पर आवास खरीदने का
10% दीजिए गृह-प्रवेश कीजिए
सुनहरा मौका !
156 आसान मासिक किश्तों में भुगतान
(सीमित समय के लिए उपलब्ध)
नियम एवं शर्तें लागू।
राजस्थान संवाद
ई-मित्र पर मात्र ₹ 100 देकर ई-बिड सबमिशन में भाग लें
• योजना में पानी, बिजली, सड़क, सीवर, पार्क सहित मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था एवं ये आवास विवाद रहित है। • ई-बिड सबमिशन प्रत्येक सोमवार प्रात:10.00 बजे से बुधवार सायं 4.00 बजे तक, आवंटन प्रत्येक बुधवार सायं 4.30 बजे • जहां है जैसा है के आधार पर विक्रय • शनिवार/रविवार को आवास दिखाने की विशेष व्यवस्था
ऑनलाइन प्रस्ताव देने की प्रक्रिया के लिए आवासन मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/RHB देखें।
हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009, कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 9460254319, शांतनु वार्ष्णेय (9983131666), पवन सोनी (8852000770) या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन (9828363615) से सम्पर्क करें
RERA REG. NO. RAJ/RERA/P/2018/722
Rera Website: www.rera.rajasthan.gov.in

हनी ट्रैप में फंसा 10 लाख के लिए युवक को किया अगवा, चार आरोपी गिरफ्तार

हिलव्यू समाचार

झालावाड़ । हनी ट्रैप में फंसा युवक को 10 लाख की फिरौती के लिए अगवा करने की घटना सामने आई है। युवक के पिता ओर साथ गए लोगों ने 3 लाख में राजीनामा कर 40 हजार रुपये देकर युवक को छुड़ा लिया। मगर बाकी 2.60 लाख रुपयों की मांग की धमकियों से परेशान होकर अंततः थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। बकानी थाना पुलिस ने मामले में तीव्र कार्रवाई कर रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनसे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने बताया कि 3 मई को पीड़ित फूलचंद लोधा निवासी गांव देवरी थाना रटलाई व एक अन्य थाना बकानी पहुंचे और एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 26 अप्रैल की सुबह उसके मोबाइल पर एक महिला का कॉल आया और उसने शाम को रटलाई में पेट्रोल पंप के सामने मिलने बुलाया। शाम को वह बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचा, जहां मिली महिला कब्बु बाई निवासी खैरदन्ता उसे साथ लेकर रामनिवास गांव की ओर ले गई। उस महिला ने खेत में रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह उस महिला को रटलाई छोड़कर घर आ गया। 4 दिन बाद 29 अप्रैल को महिला ने दोबारा कॉल किया और उसे बकानी बुलाया। मना करने पर रेप का केस दर्ज कराने की धमकी देने लगी। शाम को वह बकानी बाईपास पहुंचा तो वह महिला उसे अपने साथ करल गांव की तरफ ले गई और दो बीयर मंगाई। बीयर पीने के बाद उसने 3 आदमियों को बुलाया। जिन्होंने उसे पकड़ लिया और परिवार वालों से 10 लाख रुपए मंगवाने को कहा। तीनों में से एक व्यक्ति ने उसके फोन से अपने जानकार अमरलाल लोधा के मार्फत पिता से बात की और ?10 लाख लाने के लिए कहा और उसे बिंदा खेड़ा के जंगल में ले गए। अमर लाल उसके पिता नारायण लाल व गांव के ही रामप्रसाद को लेकर जंगल में आया और मध्यस्था कर 3 लाख में सौदा कर 40 हजार रुपये तीनों बदमाशों को दिला दिए। पैसे देकर वो अपने गांव आ गए। तबसे बदमाश अलग- अलग नंबरों से कॉल कर बाकी रुपयों के लिए धमका रहे हैं। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अपराध की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा के निर्देशन तथा सीओ नीरज कुमारी शर्मा के सुपरविजन एवं थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम के नेतृत्व में थाना बकानी से टीम गठित की जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना पुलिस ने तीव्र कार्रवाई कर महज 24 घंटों के अंदर रामपुरिया थाना भालता निवासी आरोपी बजरंग लाल उर्फ बरगद पुत्र भंवरलाल तंवर (28) एवं हजारीलाल पुत्र लालचंद तंवर (33) तथा नीचा खेड़ा थाना भालता निवासी कंवरलाल पुत्र पूरी लाल तंवर (55) एवं पथरिया थाना रटलाई निवासी अमर लाल लोधा पुत्र भैरूलाल (55) को गिरफ्तार कर लिया।

देवा गुर्जर हत्याकांड में वांछित 5000 इनामी गिरफ्तार

कोटा (हिलव्यू समाचार)। देवा गुर्जर हत्याकांड के संबंध में चित्तौड़गढ़ जिले के थाना रावतभाटा में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे फरार मुलजिम भेरू लाल गुर्जर पुत्र गणेश लाल निवासी खेड़ा रुदा थाना चेचट को मण्डाना थाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा 5000 रुपए का इनाम घोषित है। वांछित आरोपी को पकड़ने में कॉन्स्टेबल विपुल की विशेष भूमिका रही है। रूरल एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि देवा हत्याकांड में शामिल वांछित इनामी अभियुक्त भेरू लाल गुर्जर पर कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जाकर आ सूचना एकत्रित की जा रही थी। बुधवार को मण्डाना थानाधिकारी कल्याण सिंह को मुकुंदरा पहाड़ी के जंगलों में आरोपी के छुपे होने की सूचना मिली। इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत के सुपरविजन व सीओ ग्रामीण नेत्रपाल सिंह के निर्देशन और थानाधिकारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने मुकुंदरा पहाड़ी के जंगलों में दबिश देकर आरोपी भैरू लाल गुर्जर को दस्तयाब कर लिया। अग्रिम कार्रवाई के लिए मामले में गठित एसआईटी को सूचित कर दिया गया है।

हिलव्यू समाचार
hillviewsamachar@gmail.com
04
जयपुर >> शुक्रवार 29 अप्रैल से शनिवार 7 मई 2022

गोवर्धन सिंह...पेज नं. 1 का शेष...

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B. Writ Contempt No. 400/2010 जस्टिस निर्मलजीत कौर के निर्णय की स्कैन कॉपी

01

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Writ Contempt No. 400/2010

Goverdhan Singh son of Shri Bharat Singh, by caste Rajput, aged about 30 years, resident of nearby Narsingh Sagar Talab, Sarvodaya Basti, Bikaner, through Smt. Sushil Kanwar wife of Shri Goverdhan Singh, by caste Rajput, aged about 26 years, resident of nearby Narsingh Sagar Talab, Sarvodaya Basti, Bikaner.

----Petitioner

Versus

1. Surjeet Singh Meena, presently Dy. Superintendent of Police, Sardar C.O., Police Station Sadar, District Bikaner.
2. Satish Chandra Jangid, presently Addl. Superintendent of Police (City), District Bikaner.
3. Dharam Punia, presently S.H.O., of Nayashahar Police Station, District Bikaner.
4. Indra Singh, presently A.S.I., Police Station Nayashahar, District Bikaner.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr.Goverdhan Singh, present in person
For Respondent(s)	:	Mr.K.L.Thakur, AAG with Mr.K.L.Vishnoi, Adv. Mr.Muktesh Maheshwari, Adv. Mr.Sarjeet Singh, Addl. S.P.,ACB, Bharatpur, Mr.Satish Chandra Jangid, Addl. S.P., SOG, Ajmer (retired) Mr.Dharam Punia, Police Inspector, SHO, Nal, Bikaner. Mr.Bhojraj Singh, Dy. S.P., C.O., Sadar, Bikaner Mr.Indra Singh, S.I., P.S. Ralsingh

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

02

HON'BLE MS. JUSTICE NIRMALJIT KAUR

Order

13/08/2018

While issuing notice on 13.09.2010, the learned Single Bench of this Court observed as under:-

"That when the order dtd. 8.9.2010 passed by this Court in the writ petition was submitted to the respondent No.2-Satish Chandra Jangid, Addl. S.P. (City), Dist. Bikaner and respondent No.3-Dharam Punia, SHO, Police Station Nayashahar for needful compliance, they not only tore the certified copy of the order of this Court, but instead of complying with the same, asked the brother-in-law of the petitioner present in person Smt. Sushil Kanwar, and detained Sh. Poonam Singh for 4 hours and late in the evening on 9.9.2010 also registered a false FIR No.227/2010 against said Poonam Singh. The petitioner also submitted that they approached the Superintendent of Police, Bikaner, but still the compliance of the order of this Court could not be made and the vehicle Tata Safari as well as key of the residential house of the petitioner has not been returned back to them and all this happening because the husband of the petitioner Mr. Goverdhan Singh, an RTI activist took up the cudgels against the respondents and sought certain information against them under the RTI Act. She also submitted that number of false FIRs has been lodged against her husband and family members and the respondents are hell bent upon harassing the family members of the petitioner. She has prayed that the respondents may be directed to remain present in the Court to report compliance of the directions of this Court and also an interim protection may be granted to the husband and other family members of the petitioner against the threatened arrest of said persons in the aforesaid false FIRs.

This Court passed a detailed order after hearing the petitioner on 8.9.2010 in presence of the respondent-contemnor Sh. Surjeet Singh Meena, Dy. Superintendent of Police, Police Station Sadar, Bikaner and since a responsible officer was present in the Court on the side of the respondents, it was naturally expected that the order would be communicated to the concerned persons for needful compliance. However, the allegations made in the present contempt petition is that the respondents No.2 and 3 when presented the said copy of order of this Court

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

03

not only tore the copy of the same, but did not comply with the orders of this Court."

Thereafter, on the last date of hearing i.e. on 18.05.2018, this Court further observed as under:-

"The petitioner is present in person. The entire story of his harassment at the hands of the police was submitted. Multiple cases were slapped on the petitioner. His house was locked. His vehicle was seized. His brother who went to give the order of the Court was taken in police custody. Thereafter, in pursuance to the orders of this Court, the house was got re-opened and vehicle was released. Meanwhile, the police knowingfully well that there was no truth in the allegation and there was nothing to support the same, submitted cancellation reports in all the pending FIRs against the petitioner. The said cancellation reports are stated to be pending before the various courts. The respondent-contemnors in order to keep the sword hanging on the petitioner and in order to pressurize him so that he does not approach the Court and withdraw the present contempt petition, have re-opened some of the investigation.

The petitioner is, accordingly, directed to place on record in tablular form the details of the FIRs registered against him, the status of those FIRs, the date on which the cancellation report was submitted, the date when the said FIRs were re-opned, the courts in which they are pending. The needful be done within one week.

This Court may also note that in case, the allegations of the petitioner are prima facie found to be correct by this Court, it may require the registration of FIR or hand over the matter to CBI or in the alternative, order for judicial enquiry

It appears from the various orders of this Court as well as after hearing the petitioner that the respondents seem to have taken law into their hands and under the garb of the police uniform have played havoc with the life of petitioner and appeared to exceed their action beyond their public duty.

It is also brought to the notice of the Court that the petitioner was granted security, if necessary, by the order of this Court dated 17th February, 2012 passed in S.B.Civil Writ Petition No.4624/2011. It if is so, then it is the duty of the respondent-State to make sure that the petitioner is not harmed in any manner.

Put up on 3rd July, 2018.

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

04

The record of the SBCWP No.2360/2010 of which the order is under contempt be attached with the present petition."

Thereafter, when the matter came up on 03.07.2018, the petitioner was directed to file details of the FIR registered against him, the status of the FIR, the date on which the cancellation report was submitted. The needful has been done. From bare perusal of the detail placed before this Court in tabular form, it is apparent that cancellation report has been filed in all the cases except the case at Serial No.14 (FIR No.97 dated 15.04.2012 filed

Bikaner). The cognizance has been taken in the said case and the petitioner has challenged the same in a revision petition before this Court, which is pending. In cases no. 4 to 13 of the table, protest petitions have been filed. Admittedly, the protest petitions have been filed way back in the year 2014. Thus, where the respondents /State is concerned, the matter stands closed and now, the matter is between the petitioner and the Court where the protest petition is pending since the year 2013/2014. Accordingly, this Court hopes that the respective courts shall decide the protest petitions as expeditiously as possible.

Mr. K.L.Thakur, learned Additional Advocate General states that sometimes the police officials are forced to re-open the case after complaint being filed by Smt. Kamla to the D.G.P. of Rajasthan and therefore, the directions are received for re-opening such cases. The lady Smt. Kamla is stated to be 87 years

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

05

old as informed by police officer Mr. Dharam Puniya, S.H.O. Nal, Bikaner. Obviously, the said complaint is not written by her but is being pursued by someone else through her. Therefore, the official should be careful in taking them up and proceeding without examining the truth of the such complaint. If any such complaint is received by any authority at her behest or on behalf of her family members, it would be proper that the said authority receiving the complaint verifies the correct facts after calling the petitioner and hearing him before passing any order or initiating any proceeding on the basis of the false complaint. It goes without saying that in case, such a complaint filed by anybody is found to be false by the police, they shall initiate proper proceedings in accordance with law against such persons filing false complaint.

In view of the above, this Court does not deem it proper to proceed with the contempt petition. The same is, accordingly, dismissed. Rule is discharged.

The petitioner who is present in person, however, expressed his concern about his safety and chances of his being enroped in false cases. Taking into account the past history of the various cases planted on the petitioner, which were found to be false and cancellation reports have been filed, this Court has already noticed in the last order that the petitioner was granted security if necessary by the order of this Court dated 17.02.2012 passed in S.B.Civil Writ Petition No.4624/2011. Accordingly, once again, this Court repeats that it is the duty of the respondent-State to make sure that the petitioner is not harmed in any manner.

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

06

The petitioner has further pointed out that he has filed an application before the D.G.P. of Rajasthan on 30.06.2018. However, He is at liberty to pursue the same in accordance with law before the concerned authority if so deemed fit.

At this stage, petitioner also stated that he should be awarded compensation for the harassment caused to him. No such order can be passed in the present petition. However, the petitioner is at liberty to seek compensation and damages in accordance with law.

(NIRMALJIT KAUR),J

NK/1

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

गोवर्धन सिंह...पेज नं. 1 का शेष...

विशाल बंसल पुलिस महानिरीक्षक अपराध शाखा राजस्थान के द्वारा गोवर्धन सिंह केस की समग्र जाँच निष्कर्ष रिपोर्ट

एनएचआरसी नई दिल्ली 2531/20/14/2018 द्वारा गोवर्धन सिंह पुत्र श्री भरत सिंह निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, सी-स्कीम, जयपुर की जांच कर कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा राजस्थान के पत्रांक पीए/आईजीपी/सीआईडी/सीबी/2019/2020 दिनांक 6 मार्च 2019 को अंतरिम जाँच रिपोर्ट पेश की गई। तत्पश्चात उक्त परिवाद की जाँच दिनांक 9 सितम्बर 2019 को विशाल बंसल द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस सिविल राइट एवं ए.एच.टी. राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत की गई जिसकी स्कैन कॉपी प्रस्तुत है-

01

समग्र जाँच निष्कर्ष

परिवाद एनएचआरसी नई दिल्ली के 2531/20/14/2018 द्वारा श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री भरत सिंह निवासी डी–3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, सी–स्कीम जयपुर की जांच पूर्व में श्री महेन्द्र सिंह, तत्कालीन महानिरीक्षक पुलिस, सी.आई.डी (सीबी) राजस्थान, जयपुर द्वारा आरम्भ की गई। उक्त परिवाद की जाँच दिनांक 09.09.2019 से मेरे द्वारा प्रारम्भ की गई।

उक्त जांच के क्रम में परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के लिखित कथन प्राप्त किये गये। जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से विभिन्न पत्रों से सूचनायें प्राप्त की गई। श्री भोजराज सिंह, आरपीएस, तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त सदर, जिला बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई व श्री भोजराज सिंह के कथन लेखबद्ध कर शामिल जाँच किये गये। परिवादी श्री गोवर्धन सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिटों एसबी सिविल रिट पिटिशन 2360/2010, एसबी रिट कन्टेंप्ट नम्बर 400/2010, एसबी क्रिमिनल मिस पिटिशन 1248/2010 (एसबी क्रिमिनल मिस पिटिशन 214/2010, 1320/2010, 1321/2010, 1322/2010, 5160/2010, 5161/2010, 1751/2011) व एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 4624/2011 से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया। उक्त रिटों मे परिवादी पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णयों का अवलोकन किया गया। परिवाद में उल्लेखित अपराधिक प्रकरणों की वृत्ताधिकारी कार्यालय पत्रावलियां व जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन व अध्ययन किया गया। कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों बीकानेर से रिकार्ड प्राप्त किया गया। परिवाद, परिवादी के लिखित कथन, परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, जिला पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर से प्राप्त रिकार्ड, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज., जयपुर से प्राप्त रिकार्ड, परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिटों व निर्णयों की प्रतियां प्राप्त की गई।

परिवाद में वर्णित सम्बन्धित अधिकारीगण श्री ब्रहमप्रकाश, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बीछवाल जिला बीकानेर, श्री ईश्वर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना बीछवाल जिला बीकानेर, श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर, श्री मुरलीधर किराडु, रिटायर्ड आरपीएस, तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त नगर जिला बीकानेर, श्री सरजीत सिह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त सदर जिला बीकानेर, श्री सतीश जागिंड, रिटायर्ड आरपीएस, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर, श्री हबीब खान गोरान, रिटायर्ड आई.पी.एस, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर, श्री अमनदीप सिंह कपूर आई.पी.एस. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर, श्री राघवेन्द्र सुहास, आई.पी.एस. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर व श्री कुन्दन लाल बोहरा, श्री शान्ति प्रसाद शर्मा, श्री महावीर प्रसाद पूनियाँ व श्री संजय सिंह से लिखित जवाब प्राप्त कर अवलोकन किया गया। श्री पीके व्यास, रिटायर्ड आई.पी.एस. तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सी.आई.डी (सीबी) राज., जयपुर का उक्त परिवाद की जाँच के दौरान कोई कार्य आदेश आदि देना नही पाया जाने पर कोई लिखित कथन/जवाब प्राप्त नही किया गया। प्राप्त रिकार्ड के आधार पर परिवाद में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध से जाँच सम्पादित की गई।

इस परिवाद में परिवादी श्री गोवर्धन सिंह द्वारा पूर्व में दिनांक 30.06.2018 को श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक, राजस्थान, जयपुर व परिवाद अनुभाग बीकानेर, सी.आई.डी.(सीबी) राज0, जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। परिवाद अनुभाग बीकानेर, सी.आई.डी.(सीबी) राज0, जयपुर से जरिये पत्रांक 440 दिनांक 28.02.2020 को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 30.06.2018 या उसके बाद श्री गोवर्धन सिंह द्वारा कोई परिवाद इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक, राजस्थान, जयपुर से जरिये पत्रांक 1161 दिनांक 03.03.2020 को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 29.03.2019 को श्री गोवर्धन सिंह के प्राप्त परिवाद पत्रादि के सम्बन्ध में सी.आई.डी (सीबी) राज., जयपुर की गार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। सी.आई.डी (सीबी) की

02

गई फाईल के अवलोकन के पश्चात सम्बन्धित गोपनीय अनुभाग में संधारित उक्त परिवाद की पत्रावली दिनांक 11.04.2019 को बन्द की गई है। दिनांक 29.03.2019 को उक्त परिवाद मुकदमा संख्या 97/2012 व 98/2012 पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर से सम्बन्धित है। अर्थात उक्त दोनों कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हुई की दिनांक 30.06.2018 को परिवादी श्री गोवर्धन सिंह का कोई परिवाद प्राप्त नही हुआ है। जिस पर परिवादी श्री गोवर्धन सिंह से परिवाद की प्रति प्राप्त कर जाँच में शामिल की गई। अवलोकन से दोनों परिवाद एक समान जैसे पाये गये है।

परिवादी श्री गोवर्धन सिंह द्वारा पूर्व में प्रस्तुत परिवादों व उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर से प्राप्त करने पर कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर से पत्रांक 1561 दिनांक 16.03.2020 (R-52 पेज नं. 01 से 251) को रिपोर्ट मय दस्तावेजात के प्राप्त हुई। कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के दिनांक 30.06.2018 के वर्णित परिवाद की जाँच जिला पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर ने वृत्ताधिकारी वृत्त सदर बीकानेर द्वारा करवाई गई। वृत्ताधिकारी वृत्त सदर जिला बीकानेर ने अपने पत्रांक 3382 दिनांक 30.10.2018 को अपनी रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर को प्रेषित की है। वृत्ताधिकारी वृत्त सदर जिला बीकानेर ने अपनी जाँच रिपोर्ट में स्वयं रिट संख्या 400/2010 (क्लब रिट संख्या 2360/2010) में प्रस्तुत शपथ पत्र मय जवाब व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के रिट संख्या 400/2010 की निर्णय प्रति को शामिल करते हुये परिवादी के परिवाद में अंकित तथ्यों को निराधार प्रतीत होना माना है। जिला पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर ने अपने पत्रांक 3212–13 दिनांक 20.11.2018 को अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप–5)विभाग राजस्थान, जयपुर को परिवाद में अंकित तथ्यों को निराधार प्रतीत होना मानकर रिपोर्ट प्रेषित की है। परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के परिवाद की जाँच के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने अपने पत्रांक 1023 दिनांक 10.06.2010 को परिवादी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की अद्यतन स्थिति महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर को प्रेषित की गई थी। वृत्ताधिकारी वृत्त नगर जिला बीकानेर ने अपने पत्रांक 5101 दिनांक 11.07.2010 से जिला पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर को प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के परिवाद को आधारहीन असत्य मानते हुये रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा पत्रांक 1384 दिनांक 28.07.2010 से महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर को रिपोर्ट प्रेषित की है, जिसमें परिवादी व उसके परिवारजनों द्वारा झूंठे परिवाद, आधारहीन व असत्य परिवाद पेश करना माना है। जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने अपने पत्रांक 1264 दिनांक 12.07.2010 से महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर को प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी व उसके परिवारजन द्वारा बार–बार परिवाद पुलिस पर दवाब बनाकर अपने बचाव का रास्ता ईख्तयार करने के उद्देश्य से देना माना है। परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के पूर्व में भी वर्ष 2010 में एनएचआरसी नई दिल्ली में परिवाद प्रस्तुत करना पाया गया है।

परिवादी श्री गोवर्धन सिंह द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र का प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर में प्रस्तुत करने पर पत्रांक 5004 दिनांक 11.06.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से जाँच करवाई गई। परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के शस्त्र अनुज्ञा पत्र की जाँच जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने अपने पत्रांक 481 दिनांक 23.07.2019 से अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर को प्रस्तुत की है, जिसमें परिवादी श्री गोवर्धन सिंह को शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है, अंकित किया है।

परिवाद की जांच मे परिवादी पक्ष द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमों व परिवादी पक्ष के विरूद्ध दर्ज मुकदमों के अनुसंधान एवं परिवादी व परिवादी पक्ष के विरूद्ध की गई अन्य कार्यवाहियों में निम्न तथ्य पाये गये।

1. टाटा सफारी गाडी नम्बर पीबी–10–सीएफ–0044 का इकरारनामा अनुसार मालिक श्री हनुमान सिंह है, जो कि परिवादी श्री गोवर्धन सिंह का चचेरा भाई है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में परिवादी श्री गोवर्धन सिंह को उक्त गाड़ी दिनांक

27

03

17.09.2010 को सुपुर्द की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि उक्त गाड़ी श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर हाल उप अधीक्षक साईबर क्राईम यूनिट रेंज बीकानेर द्वारा अन्तर्गत धारा 207 मोटर व्हीकल एक्ट में दिनांक 24.02.2010 को जब्त करना पाया गया है। उक्त गाड़ी को अन्तर्गत धारा 207 मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त करने के बाद श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में इस्तगासा अन्तर्गत धारा 468 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निस्तारण हेतु 06 माह में प्रस्तुत करना था। जाँच के दौरान श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर हाल उप अधीक्षक साईबर क्राईम यूनिट रेंज बीकानेर ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। इन्होने उक्त गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट में अन्तर्गत धारा 207 में दिनांक 24.02.2010 को जब्त किया था। श्री रामेश्वर लाल द्वारा यह कहना कि वह दिनांक 19.07.2010 तक ही थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर में पदस्थापित था, उसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया था। परन्तु श्री रामेश्वर लाल द्वारा स्थानान्तरण के समय उक्त गाड़ी की फर्द जब्ती किसी अन्य पुलिस अधिकारी को चार्ज सूची में दी हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः श्री रामेश्वर लाल तत्कालीन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रस्तुत लिखित जवाब स्वीकार योग्य नही है। उक्त गाड़ी अन्तर्गत धारा 207 मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त करने के 06 माह के अन्दर मियाद विधिक प्रावधान अन्तर्गत धारा 468 दण्ड प्रकिया संहिता के अनुसार सम्बन्धित न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करना था। इसलिए उक्त गाडी का अन्दर मियाद सम्बन्धित न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी स्वयं जब्ती अधिकारी श्री रामेश्वर लाल तत्कालीन पुलिस निरीक्षक की थी। परन्तु परिवाद की जाँच में इस्तगासा पेश किये जाने के कोई दस्तावेजात नही पाये गये। श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक द्वारा विधिक प्रावधानों के क्रियान्वन में लापरवाही की जानी पाई गई है।

2. मुकदमा संख्या 44/2010 पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर के अनुसंधान के दौरान श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर हाल उप अधीक्षक साईबर क्राईम यूनिट रेंज बीकानेर ने अपने अनुसंधान में केस डायरी संख्या 8 दिनांक 06.03.2010 में यह उल्लेख किया है कि "मुकदमा हाजा में अभियुक्त गोवर्धन सिंह की गाड़ी पी0बी0 10 सी.एफ 44 सफारी काले रंग की जो दिनांक 24.02.2010 को धारा 207 एमबी एक्ट में सीज की गई थी जिससे सम्बन्धित कागजात किसी ने पेश नहीं किये है। इससे स्पष्ट है कि गाड़ी चोरी की है। अतः धारा 379 भादस जोड़ा गया, अब तक के अनुसंधान से अभियुक्त गोवर्धन व हनुमान सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 384, 500, 501, 506, 211, 468, 476, 469, 484, 417, 379 भादस प्रमाणित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य थानों में भी प्रकरण दर्ज है। अभियुक्त की तलाश जारी है।" उक्त मुकदमा में उक्त गाड़ी को चोरी का बताना अंकित किया है, जो मात्र कागजात पेश नही किये जाने मात्र से किसी वाहन को चोरी का मान लिया जाना अन्वेषण में अनियमितता व लापरवाही को प्रमाणित करता है। इस मुकदमा में सम्पूर्ण अन्वेषण के पश्चात अन्तिम रिपोर्ट (नकारात्मक) न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिससे भी अनियमितता व लापरवाही प्रमाणित होती है। जाँच के दौरान श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर हाल उप अधीक्षक साईबर क्राईम यूनिट रेंज बीकानेर ने अपना लिखित जबाव प्रस्तुत किया है। श्री रामेश्वर लाल तत्कालीन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अपने प्रस्तुत लिखित जबाब में अपना कोई पक्ष नही रखा है। उक्त मुकदमा के अनुसंधान अधिकारी ने उक्त गाड़ी को श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर हाल उप अधीक्षक साईबर क्राईम यूनिट रेंज बीकानेर द्वारा चोरी का बताना अंकित किया है, जो मात्र कागजात पेश नही किये जाने मात्र से किसी वाहन को चोरी का मान लिया जाना अन्वेषण में अनियमितता व लापरवाही दर्शाता है।

28

04

3. मुकदमा संख्या 184/1999 के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त मुकदमा 184/99, धारा 341, 323, 34 भादस दिनांक 19.05.1999 को थाना नया शहर बीकानेर में श्री लक्ष्मण सिंह ने श्री पूनम सिंह, श्री बजरंग सिंह और श्री गोवर्धन सिंह (परिवादी) के विरूद्ध दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस ने मुकदमा में श्री पूनम सिंह और श्री बजरंग सिह के विरूद्ध धारा 341, 323, 34 भादस का अपराध प्रमाणित माना था व श्री गोवर्धन सिंह (परिवादी) को आरोपी नही माना था। परिवादी श्री गोवर्धन सिह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2360/2010 गोवर्धन सिंह व अन्य विरूद्ध राज्य सरकार पेश की थी। उक्त रिट में प्रभारी अधिकारी श्री सरजीत सिंह मीणा आरपीएस तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त सदर बीकानेर द्वारा दिनांक 12.04.2010 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में राज्य सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया था। अपने जवाब में श्री सरजीत सिह मीणा, आरपीएस द्वारा डोक्युमेन्टस का एनेक्जर–आर/1 (लिस्ट आफ क्रिमिनल केसेज) सिरियल नम्बर 1 में उक्त मुकदमा 184/1999 का उल्लेख है। उक्त मुकदमा में नाम आरोपी सूची में श्री पूनम सिह, श्री बजरंग सिंह व श्री गोवर्धन सिंह (परिवादी) का उल्लेख है व नतीजा में चार्जशीट नम्बर 158/23.06.1999 अंकित है। श्री सरजीत सिंह मीणा, आरपीएस, तत्कालीन प्रभारी अधिकारी रिट एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2360/2010 गोवर्धन सिंह व अन्य विरूद्ध राज्य सरकार में अपने जवाब के साथ परिवादी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न की थी। परिवाद की जाँच के दौरान श्री सरजीत सिंह मीणा, आरपीएस, तत्कालीन प्रभारी अधिकारी रिट एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2360/2010 ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। श्री सरजीत सिंह मीणा ने अपने जवाब में अंकित किया कि मुझे जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर का पत्रांक 1152 दिनांक 23.03.2010 में भी थानाधिकारी ने प्रकरण संख्या 184/1999 में पूनम सिंह, बजरंग सिंह, गोरधनसिंह को आरोपी बताते हुए पत्र प्राप्त हुआ था। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर की मोहर पर श्री राजेन्द्र कुमार उप निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर से परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की उक्त सूचना भेजने वाले तत्कालीन समय के उप निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार की लापरवाही रही है, जिनकी दिनांक 25.04.2013 को मृत्यु हो चुकी है।

4. मुकदमा संख्या 26/2010 धारा 384, 353, 504 भादस पुलिस थाना बीछवाल जिला बीकानेर में मूल प्रार्थना पत्र जो टाईप शुदा है। मुकदमा के परिवादी डॉ. एमपी पूनियाँ ने अपने हस्ताक्षरित रिपोर्ट को अपने कर्मचारी श्री संजय सिंह को थाना बीछवाल जिला बीकानेर भेजकर दिनांक 12.02.2012 को मुकदमा दर्ज कराना पाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर दर्ज पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति में पुलिस द्वारा लिखित विवरण (हू ब हू नकल की लिखावट) में व घटना तिथी के कॉलम में दिनांक 09.02.2010 अंकित है। मुकदमा की पत्रावली की प्रति प्राप्त की गई। परिवादी के मूल प्रार्थना पत्र की टाईप शुदा दिनांक "9" के बाद में "8" किया जाना प्रतीत होता है, जबकि पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 9 ही अंकित है। जाँच के दौरान श्री ब्रहमप्रकाश तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बीछवाल जिला बीकानेर का लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। श्री ब्रहमप्रकाश तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक ने अपने जवाब में अंकित किया है कि "परिवादी की रिपोर्ट में घटना तिथी का अस्पष्ट लेखन की स्थिति होने पर मेरे द्वारा घटना तिथी दिनांक 08.02.2010 का पठन मानकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व दिनांक 13.02.2010 को अनुसंधान के दौरान मुकदमा हाजा की घटना तिथी दिनांक 08.02.2010 की पुष्टि होने पर मेरे द्वारा केस डायरी नंबर 02 दिनांक 13.02.2010 में स्पष्ट नोट अंकित किया गया कि प्रकरण में अभियोग दर्ज करवाने हेतु श्री एम.पी पूनियाँ द्वारा भेजे गये मूल पत्र संख्या ईसीबी/पीएस/2010/एसपीएल/1 दिनांक 12.02.2010 में घटना तिथी का अस्पष्ट लेखन होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना तिथी 09.02.2010 का अंकन किया गया है।

05

जबकि अभियोगी व गवाहान ने अपने कथनों में घटना तिथी 08.02.2010 अंकित करवाई है तथा घटना तिथी 08.02.2010 ही बताई है। इस स्थिति से श्रीमान एसएचओ साहब को निवेदन किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत रिपोर्ट में घटना तिथी लेखन में अस्पष्ट स्थिति होने की वजह से एफआईआर में घटना तिथी दिनांक 09.02.2010 अंकित हुई है, जबकि घटना तिथी दिनांक 08.02.2010 थी। परिवादी ने जैसी रिपोर्ट पेश की उसके अनुसार कार्यवाही हुई है। मेरे द्वारा परिवादी की रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी कांट–छांट नहीं की गई है। जैसी रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अनुसार ही मेरे द्वारा कार्यवाही की गई है।" इस बिन्दु पर इनका जवाब स्वीकार योग्य नही है। श्री ब्रहमप्रकाश, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बीछवाल जिला बीकानेर ने घटना तिथी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में 09.02.2010 है, के स्थान पर 08.02.2010 का उल्लेख किया है, जो अनुसंधान में अनियमितता की श्रेणी में आता है। मुकदमा दर्ज करने वाले श्री ईश्वर प्रसाद, उप निरीक्षक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय मुकदमा में घटना घटित की दिनांक 09.02.2010 का उल्लेख अपने जवाब में किया है। मुकदमा के परिवादीगण डॉ. एमपी पूनियाँ व श्री संजय सिह ने भी घटना तिथी के सम्बन्ध में अपने–अपने जवाब में दिनांक 09.02.2010 का ही उल्लेख किया है। श्री ब्रहमप्रकाश तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बीछवाल जिला बीकानेर द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत परिवादीगण के मूल प्रार्थना पत्र की प्रति के अवलोकन से दिनांक 09.02.2010 में 09 अंक पर ओवरराईटिंग जैसा प्रतीत होता है। जाँच से पाया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने के पश्चात अन्वेषण के स्तर पर जब पत्रावली अनुसंधान अधिकारी श्री ब्रहमप्रकाश, तत्कलीन सहायक उप निरीक्षक की कस्टडी में थी, इस स्तर पर दिनांक के अंक "9" में परिवर्तन किये जाने की पूर्णत सम्भावना है। इस प्रकार श्री ब्रहमप्रकाश तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बीछवाल जिला बीकानेर की लापरवाही दर्शाता है।

5. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से परिवादी श्री गोवर्धन सिंह की हिस्ट्रीशीट पंजिका की प्रति प्राप्त की गयी। हिस्ट्रीशीट पंजिका के अवलोकन से परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के विरूद्ध दिनांक 06.03.2010 तक हिस्ट्रीशीट खोलने की दिनांक तक कुल 15 अभियोग पंजीबद्ध होने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर द्वारा परिवादी की हिस्ट्रीशीट पंजिका खोलने का प्रस्ताव व श्री मुरलीधर किराडू, तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त नगर, बीकानेर रिटायर्ड आरपीएस की अनुशंषा टिप्पणी दिनांक 03.03.2010 को कराकर दिनांक 04.03.2010 को अपने थाना से जरीये डिस्पेच तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर को प्रेषित किया जाना पाया है। उक्त के क्रम में श्री राघवेन्द्र सुहास, आईपीएस तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने अपने आदेश क्रमांक MOB/1295-1361 दिनांक 06.03.2010 द्वारा परिवादी श्री गोवर्धन सिह की हिस्ट्रीशीट पंजिका पत्रावली खोली जाकर निगरानी करने के आदेश जारी करने पाया गया है। उस समय तक 15 अभियोग में से 6 मुकदमों में चालान तथा 7 प्रकरण अनुसंधानाधीन होना अंकित किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने आदेश 12091–92 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा हिस्ट्रीशीट पंजिका बन्द करने के आदेश दिये गये है तथा परिवादी की निगरानी बन्द करना उचित माना है तथा इस इतिहास पंजिका को राजस्थान पुलिस रूल्स 1965 के नियम 4.12(1) के अनुरूप व्यक्तिगत पंजिका में स्थानान्तरित करनें के आदेश देना बताया है।

इस सम्बन्ध में श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर द्वारा हिस्ट्रीशीट पंजिका खोलने के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि "परिवादी की हिस्ट्रीशीट पत्रावली उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरणों एवं उसके आम जनता में व्याप्त भय को मध्यनजर निगरानी हेतु खोली गई थी। जिसका प्रमाण उस समय उसके विरूद्ध विभिन्न थानों में अलग–अलग धाराओं में दर्ज प्रकरण है। इनमें से एक मुकदमा संख्या 98/2003 धारा 384 भादस जैसलमेर थाना का भी है। जिसमें परिवादी का चालान हुआ था। यह कार्यवाही

30

06

राजस्थान पुलिस रूल्स 1965 के नियम 4.9 (2) के अनुसार पूरी तरह नियामनुसार की गई है" आदि। श्री मुरलीधर किराडू, तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त नगर, बीकानेर रिटायर्ड आरपीएस ने अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें अंकित किया है कि "हिस्ट्रीशीट खोलने के लिये तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर ने गोवर्धन सिंह के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के रिकार्ड का संकलन कर अपने रिपोर्ट तैयार करके वृत्त कार्यालय में भिजवाई थी। एचएस पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का अवलोकन करे तो स्पष्ट होगा कि सन् 2008 से पूर्व गोवर्धन सिंह के विरूद्ध 07 अभियोग पंजीबद्ध हुये थे। जिनका विस्तृत विवरण मुकदमा संख्या 01 से 07 अंकित किया है, जिनमें 05 मुकदमों में चालान व 02 मुकदमों में एफआर आदि का अंकन किया है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि यह व्यक्ति निगरानी के लायक था, इसी आधार पर एचएस खोलने की अनुशंषा की गई थी। जिस समय एचएस खोलने की अनुशंषा की गई थी, उस समय तक गोवर्धन सिंह आपराधिक रिकार्ड एचएस खोलने के लिये पर्याप्त था"। श्री राघवेन्द्र सुहास, आईपीएस तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में लिखित किया है कि "तत्कालीन थानाधिकारी नया शहर ने रिकार्ड नियामानुसार बनाकर हिस्ट्रीशीट खोलने के लिये वृत्त कार्यालय डी.एस.पी को भिजवाया था। तत्कालीन वृत्त अधिकारी डी.एस.पी ने इस रिपोर्ट को अनुमोदन करके भिजवाई थी। हिस्ट्रीशीट पत्रावली संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार श्री गोवर्धन सिंह के खिलाफ कुल मिलाकर 1999 से कुल मिलाकर 16 मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा का 01 से 16 विवरण अंकित है। गोवर्धन सिंह वर्ष 1999 से सकिय अपराधी है तथा इसके विरूद्ध अलग–अलग परिवादियों द्वारा उपरोक्त अभियोग पंजीबद्व है"। श्री राघवेन्द्र सुहास, आईपीएस तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने अपने जवाब में परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के लिये अंकित किया है कि "इसके अलावा इस व्यक्ति के खिलाफ इनके अपराध के बारे में तंग परेशानी के सम्बन्ध में राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा, मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा, वित्त सचिव कार्यालय द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा, आम आदमी द्वारा, सन्तरस्त बुजुर्ग शरीफ इज्जतदार लोग द्वारा, शिकायत पत्र प्राप्त होकर अलग–अलग थानों पर कानूनन अनुसार पुलिस कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था। जो नियमानुसार सूचीबद्ध किया गया है। जिनकी सूची विस्तृत A to Z है। अतः कानूनन नियमानुसार इनके विरूद्ध है। इन सब मुकदमा को गंभीर होने की वजह आदतन होने की वजह से उपलब्ध आपराधिक रिकार्ड को मददेनजर रखते हुये कानून की प्रक्रिया के अनुसार हिस्ट्रीशीट पत्रावली खोला गया है। जिसके बावत उच्च अधिकारियों को पेश किया गया है। दिनांक 06.03.2010 को गोवर्धन सिंह की एचएस पत्रावली खोली जाकर निगरानी रखने के आदेश दिये गये है। अतः इनका आरोप मनगढंत और झूठां है" आदि।

परिवादी श्री गोवर्धन सिंह की हिस्ट्रीशीट पंजिका का अवलोकन किया गया तो पाया कि श्री रामेश्वर लाल, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर द्वारा हिस्ट्रीशीट पंजिका खोलने के प्रस्ताव में परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के विरूद्व दर्ज मुकदमों की सूची का संकलन किया है, जिसमें मुकदमा संख्या 184/1999 में परिवादी श्री गोवर्धन सिंह का चालान अंकित करने में लापरवाही बरती है, चूंकी परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के विरूद्ध यह मुकदमा दर्ज तो हुआ था, परन्तु परिवादी का चालान नहीं हुआ था। परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की सूची जो हिस्ट्रीशीट पंजिका में उपलब्ध है, उसके अवलोकन से पाया गया कि परिवादी के विरूद्ध वर्ष 2010 से पूर्व 08 मुकदमें दर्ज होने का उल्लेख है तथा 07 मुकदमें तत्समय वर्ष 2010 में दर्ज होना पायें गये। इस प्रकार हिस्ट्रीशीट पंजिका खोलने तक कुल 15 मुकदमें दर्ज होना पाया गया है। मुकदमों की सूची पर निर्णय दिनांक अंकित है। उक्त मुकदमों में से 05 मुकदमों का निर्णय वर्ष 2010 हिस्ट्रीशीट पंजिका खोलने से पूर्व हो चुका था, जिनमें 03 मुकदमों में राजीनामा व 01 मुकदमें में बरी व 01 मुकदमें में एफआर स्वीकृत होंना पाया गया है। तत्समय 02 मुकदमों में चालान

31

07

व 01 मुकदमें में एफआर का निर्णय न्यायालय में पैडिंग था तथा 07 मुकदमों में पुलिस स्तर पर अनुसंधान पैडिंग था।

राजस्थान पुलिस रूल्स 1965 के नियम 4.9 के तहत इतिहास पंजिका दो प्रकार से खोले जाने के प्रावधान है। प्रथमतः जिन व्यक्तियों के नाम अभिरक्षण रजिस्टर में दर्ज है, उनकी इतिहास पंजिका खोली जावेगी। द्वितीय प्रकार में इतिहास पंजिका उन व्यक्तियों के लिये खोली जावेगी जिनके नाम अभिरक्षण रजिस्टर में दर्ज नही है परन्तु अपराध करने के अभ्यस्त है।

नियम 4.4 के तहत अभिरक्षण रजिस्टर प्रपत्र सं. 4.4(1) मे तैयार किये जाने के प्रावधान है। यह रजिस्टर दो पार्ट में खोला जाता है। प्रथम पार्ट में उन लोगों के नाम दर्ज होगें जो 82 सीआरपीसी के तहत उदघोषित अपराधी है अथवा 356 सीआरपीसी में पाबन्द है अथवा सीआरपासी की धारा 432 के तहत सशर्त छोड़े हुये है अथवा राजस्थान एचओ एक्ट के तहत पाबन्दी लगी हुयी है।

रजिस्टर के द्वितीय भाग में पुलिस अधीक्षक अपने विवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज करेगा जो निम्न श्रेणी में आते हों:–

1–आर.पी.आर. 1965 के नियम 8.22 में वर्णित अपराधों में दो या अधिक बार सजायाब हो।

2–वे समस्त व्यक्ति जिन पर अभ्यस्त अपराधी होने का युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारण हो या चोरी की सम्पति लेने वाले है चाहे वो सजायाब रहे हो या नही।

3–वे व्यक्ति जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 109 या 110 के अनुसार प्रतिभूति पर है।

4–वे समस्त व्यक्ति जो सजा पूर्ण होने से पूर्व प्रिजन एक्ट एवं रेमीशन रूल्स के अन्तर्गत बिना किसी शर्त के छोड़े गये हो।

उपरोक्तानुसार राजस्थान पुलिस नियम 1965 में इतिहास पंजिका खोलो जाने एवं सम्बन्धित व्यक्ति (हिस्ट्रीशीट) की निगरानी किये जाने के प्रावधान है।

परिवाद की जाँच के दौरान परिवादी श्री गोवर्धन सिंह के विरूद्ध दर्ज मुकदमों व न्यायालयों से निस्तारण के अवलोकन से परिवादी श्री गोवर्धन सिंह न तो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में आता हैं, जिनका नाम अभिरक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये तथा न ही एचओ एक्ट 1952 (H. O. (Control and Reform) Act 1956) के प्रावधानों के अन्तर्गत अभ्यस्त अपराधी की श्रेणी में आता है। अतः श्री गोवर्धन सिंह की हिस्ट्रीशीट पंजिका खोलने व निगरानी करने का कृत्य राजस्थान पुलिस रूल्स 1965 के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नही करना पाया गया है। इस प्रकार परिवादी श्री गोवर्धन सिंह की हिस्ट्रीशीट पंजिका नियमानुसार खोलना नही पाया गया है।

6. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विभिन्न Writs में परिवादी की सुरक्षा के आदेश दिये गये है। तत्पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा पत्रांक 3591–92 दिनांक 11.08.2018 से थानाधिकारी पुलिस थाना नयाशहर को परिवादी के बीकानेर रहने के दौरान सुरक्षा बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का आदेश दिये गये है। जिला पुलिस अधीक्षक का उक्त आदेश बिना किसी सुरक्षा आकलन के हैं, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था का समुचित होना नहीं कहा जा सकता है। अतः जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा परिवादी की सुरक्षा का आकलन कराया जाकर परिवादी को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना उचित होगा।

अतः जांच रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय,

(विशाल बंसल)
महानिरीक्षक पुलिस,
अपराध शाखा, राजस्थान।

हिलव्यू समाचार
hillviewsamachar@gmail.com
06
जयपुर >> शुक्रवार 29 अप्रैल से शनिवार 7 मई 2022

8 मई मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

जन्म देने वाली माँ और सास में कोई फर्क़ नहीं

रिंकिता शुक्ला
चित्रकार, कवियत्री

मैंने अपनी अम्मा (माँ) विमला पांडे जी के बारे में बहुत बार लिखा और लिखती चली आ रही हूँ पर आज अपनी सास जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। उ.प्र. के फर्रुखाबाद के प्रतिष्ठित परिवार की सुशिक्षित महिला नाम था सरोजनी। माथे पर बड़ी बिंदी, खिचड़ी बाल, बड़ी-बड़ी भावपूर्ण आँखें, मुख पर सदैव हँसी से सरोबार मुखमुद्रा। जितनी कुशल ग्रहणी थी, उतनी ही व्यवहारिक महिला भी। सभी से बातचीत करना उनका प्रिय शौक था। मुझे याद है सर्दियाँ शुरू होते ही उनके हाथ ऊन और सलाइयों में ही उलझे रहते थे, जो डिजाइन एक बार देख ले मज़ाल है, कि एक भी बुनाई उधर से उधर हो जाए। बुनाई और पाक विद्या में कुशलता देखते ही बनती थी। नानी सास जी से विरासत में मिला खाने- पीने का शौक और साथ ही कुछ ना कुछ नए-नए पकवान बनाना भी।

5 बच्चों का भरपूर परिवार। सभी को साधना वह भी अकेले ...बहुत बड़ी बात होती है। ससुर जी जो डी.वाई.एस.पी. थे। पुलिसिया नौकरी। अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। मम्मी को अकेले बच्चों की फौज को संभालना पड़ता। बच्चों को पढ़ाना, बड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। पर उनके कुशल व्यवहार ने यह बखूबी कर दिखाया।

वो उस समय हिंदी विषय में विशारद किये थी, पढ़ने के शौक के कारण पत्र पत्रिकाएँ मंगवाया करती थीं, साथ ही हमारे बच्चों की कोर्स बुक्स भी पढ़ जाया करती थीं। और

हाँ.... अखबार का खासा शौक था, कोई कॉलम ग़लती से भी ना छूटता और यह अखबार पढ़ने का शौक मेरे पतिदेव को भी विरासत में मिला। गाने- बजाने में भी महारत हासिल थी उन्हें, हारमोनियम, ढोलक बजाने के साथ-साथ सुरीला गला। पुराना फिल्मी गीत हो या भजन, सभी गाया करती थीं। उनके लिए यह कहा जाए कि वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला थी, तो कोई अतिश्योक्ति नही होगी। बाकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे अनुभव होते है, पर इन्ही अनुभवों के साथ जीवन को जीवंत बनाना कोई उनसे सीखे। आज मातृ दिवस पर सासजी स्व. सरोजनी शुक्ला जी और अपनी अम्मा स्व. विमला पांडेय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।

माई री! तुम बहुत ख़ास हो

डॉ रत्ना शर्मा,जयपुर
प्राध्यापक एवं कवयित्री

माई री! तुम बहुत ख़ास हो
कैसे कहूँ कि...
तुम मेरे लिए क्या हो?
तुम खुशबू हो, बहार हो,
सावन की पहली फुहार हो।
तुम गीत हो रागिनी हो,
मख़मली बयार फागुनी हो।
तुम झरता आबशार हो,
कल-कल स्नेह की धार हो।
तुम सागर में उठती तरंग हो,
तुम क्रोध में बजती मृदंग हो।
तुम चाँदनी का अहसास हो,
तुम बाँसुरी की मिठास हो।
तुम अंधकार में उजास हो,
तुम नव जीवन की आस हो ।
तुम आशा तुम विश्वास हो,
तुम नवयुग का आगाज़ हो ।
तुम संस्कारों का परचम हो,
तुम अनुशासन तुम संयम हो।
तुम मरुस्थल में मरीचिका हो,
तुम सब वेदों की ऋचा हो ।
तुम बाइबिल और कुरान हो,
तुम गीता तुम ही पुराण हो।
माई री! तुम मेरे जीवन का
अशेष इतिहास हो,
मेरे लिए तुम बहुत ख़ास हो।।

इस निर्मोही जग में माँ...

दयाल परमार
छबड़ा, बाराँ

इस निर्मोही जग में भी माँ,
अपना दायित्व निभाती है ,
निज माटी से मूरत गढ़ कर,
माटी का कर्ज़ चुकाती है
इस निर्मोही...
हीरे-मोती दानें चुन-चुन,
प्रीत बीज अंतस बोती है।
जैसे धरा कृषक को
अन्न धन देकर
फर्ज निभाती है
इस निर्मोही...
दुनियां जिस पर गर्व करें ,
बस इक हस्ती है सृष्टि पर ।
गर्जीले पल में भी माता ,
खुद गर्ज़ नहीं बन पाती है
इस निर्मोही...
जीते जी मान मिले न मिले
ये गर्व करे निज कर्मों पर।
देश को देश का लाल सौंप कर,
खुद, माटी- मर्ज़ कराती है
इस निर्मोही...

माँ से अटूट रिश्ता...

रब के बाद कोई नाम है
तो तू है माँ
माँ ने ही मुझे रचा
कष्टों में रह कर हँसते हुए
माँ ने ही मुझे पाला,
मेरी हर सांस को सुना
माँ कोई शब्द नहीं
प्यारा एहसास है
जिसे महसूस करते हैं माँ।
खुद भूखी रहकर भी
मुझे सदा खिलाया
खुद गीले में सो कर
मुझे सूखे में सुलाया,
सुलाती हुई थपकी देती है
हर थपकी में दुआ देती है माँ।
तू है तो मुझे डर काहे का माँ
धूप मुझे सताती नहीं
छाँव बन कर तू
आँचल अपना ओढ़ाती है,
आप धूप सहकर भी ठंडी हवा का
एहसास कराती है माँ।
रोती हूं तो प्यार करती है
गिरने लगती हूं तो दौड़ के
थाम लेती है,
सीने से लगा ममता
लूटाती है माँ
माँ वो तुम्हारा सहजता
भरा प्यार
तुम्हारे प्यार को क्या नाम दूँ।
वो तुम्हारा प्यार से खाना बनाना
फिर मनुहार से खिलाना,
वह तुम्हारा झूठा गुस्सा करना
तुम्हारा डांटना- डपटना
फिर खुद ही मेरी
अलायें- बलायें लेना माँ।
क्या भुला पाऊँगी माँ की ममता को
जिसने मुझे जन्म दिया,
छुपा कर अपने गमों को
ममता लुटाती रही माँ,
तुम्हारा मेरा यह अटूट रिश्ता
जिसे कभी ना भुला पाऊंगी माँ।
माँ मेरी प्यारी माँ।

रमा भाटी

एक बालक की माँ को पुकार

स्कूल से जब मै घर आती हूँ
घुसते ही चिल्लाती हूँ माँ! माँ!
अंधकार जब छाता है
और कुछ नज़र न आता है
डर से मैं सिसकती हूँ
तब भी यही चिल्लाती हूँ माँ! माँ!
दौड़ी फिर वह आती है
आँसू पौंछ सहलाती है
डर तो मानो भाग ही जाता है
कभी रोए थे ये याद भी नहीं आता
भूख से जब पेट गुड़गुड़ाता है
रसोई घर में माँ को पाता है
झट पट खाना होता तैयार
माँ के हाथ का खाना खा कर ही
आती है डकार
रात में जब नींद नहीं आती है
लोरी सुनाती है सर खुजलाती है
कुछ ही क्षणों में झपकी लग जाती
मेरी बुद्धि ये अनुमान भी नहीं लगा
पाती है
कभी वह डांटती है
और कभी वह फटकारती है
फिर गले से भी तो वही लगाती है
कुछ ऐसा ही होता है माँ का प्यार
कभी दुलार तो कभी मार
समय कितना ही आगे बढ़ जाए
माँ का स्नेह न बदल पाए
कितना ही दूर बालक
माँ से चला जाए
एक दिन लौटकर
उसी गोद में सर रखने
को मन ललचाए।।

पूर्वी गौतम, कक्षा-दसवीं (एफ)
एमजीडी गर्ल्स स्कूल जयपुर

अलग है उसका जीने का ढंग

दुनिया से लड़ने के लिये न जाने कितनी बार वो बनी दबंग
अगर ज़रा सा हँस देती है तो करोड़ों आँसुओ पर भारी हैं
ये उसकी मुस्कान ही है जिसे देखकर भूल जाती हूँ अपने सारें ग़म
कभी वो रोतीं भी है तो उस जंग की याद में
जब वो लड़ी अपने बच्चों के लिये हार के अपना सारा दम
वो मेरी माँ ही हैं
जो हारने से नही हारती
लड़ने से नही डरतीं
मुसीबत से भागना सहीं नही समझती
और हम पर भोझ बनना कभी नही चाहतीं
पाला हैं हमें बड़ी मुश्किलों से
मेरी माँ ने घिसे है घुटने न जाने आगे कितनो के
ज़ाहिर ना करना हैं उसकी सबसे बुरी आदत
तीन बच्चों कि माँ हैं वो पर असल में
देखकर बस लगती है ये एक कहावत
ज़िंदगी में डॉक्टर बनने का था उनमे हुनर
पर सपना ही रह गया जब शादी होकर आयी मेरे पापा के घर
ज़िम्मेदारी का बोझ उन पर क्या कोई कम था
अकेले उसने हमें पाला यें अपने आप में ही
उसके लिये एक जीता हुआ गोल्ड था
सच में किसी ने बहुत सच ही कहा है
माँ के पैरों में जन्नत होती हैं
हर खुशी को पाने के लिये उसकी एक क़ीमत होती हैं
मेरी माँ ने हमारी खुशियो के ऊपर किसी चीज़ को नहीं रखा
बस हमारा ख़याल रखा, बस हमें पैरों तले चलना सिखाया
माँ शब्द का असल मतलब सिखाया
उसने हमें माँ के प्यार का ऐहसास दिलाया
हर माँ की अपनी एक कहानी होती हैं
हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ गवां देती हैं
हर माँ की अपनी अलग परवरिश होतीं हैं
क्यूँकि.. हर माँ की एक अलग अपनी कहानी होती है
जो वो खुद लिखती है।

इरफ़ा ख़ान
कक्षा 12-एफ,
एमजीडी गर्ल्स स्कूल, जयपुर

माँ

माँ तो आख़िर माँ होतीं हैं।
माँ से बढ़ कर इस दुनिया में।।
कोई चीज़ कहाँ होतीं हैं।।
माँ तो आख़िर माँ होतीं हैं ।।
दर्द हमे जब होता है ।
मुँह से माँ निकलता है।।
बच्चे का दुख देख ।
माँ का दिल तड़पता है ।।
सच कहतें हैं कि
माँ तो ठंडी छाँव होती हैं।
माँ जैसा आज तक
न कोई दूजा हुआ है।
माँ एक महा शक्ति हैं ।।
माँ ईश्वर की भक्ति हैं ।
अपने बच्चों के ख़ातिर ।
माँ कुछ भी कर सकती है ।।
माँ की तो तारीफ़ भला ।
किन शब्दो में बया होती हैं।।
माँ बिना यू लगता है ।
जीवन में क्या रखा है ।।
झूठा प्यार है लोगों का ।
माँ का प्यार ही सच्चा है ।।
झूठा प्यार है लोगों का।
झूठे है लोग सभी।।
माँ बिना यह ज़िन्दगी ।
बहुत हीं तन्हा होती हैं ।।
माँ तो आख़िर माँ होती हैं।
माँ से बढ़कर इस दुनिया में,
कोई कहाँ होता है?

अणिमा माथुर, जयपुर

मेरी माँ...

ओ! मेरी प्यारी माँ
तेरे पास ही है मेरा जहाँ
सब कुछ तूने मुझे सिखाया
व बहुत कुछ भी है समझाया
मेरे सुनहरे सपनों के पंख बन,
तूने मुझे उन्मुक्त गगन में उड़ाया
हर बार अपनी गोद में उठाया
और ढेर सारा प्यार जताया
तूने मुझे हर तीज त्यौहार पर
अपने प्यारे हाथों से सजाया
और हमेशा बहुत स्वादिष्ट खाना
पकाकर भी खिलाया
मेरी पहचान तूने मुझे दी
हर चोट पर फूं क मारकर मरहम पट्टी भी तूने की
अगर अच्छा काम करने पर टॉफी दी
तो ग़लत काम करने पर खूब पिटाई भी तो तूने ही की
मेरे जन्म के पहले से तू जानती है मुझे
मैंने भी सुना है तुझे
अपनी कोख से बात करते
व मेरा हाल पूछते
मेरे दर्द से तू घबराए
मेरे आँसुओं से तेरी आँखें भर आए
मेरी हंसी से तेरा चेहरा खिल जाए
व मेरी सफलता से तेरा सर उठ जाए
बचपन में
तेरे मेकअप को बर्बाद किया
तेरी न जाने कितनी चीजों को ख़राब किया
तेरे जैसा बनने के लिए तेरा दुपट्टा ओड़ा
पर तेरे जितना काम करने के लिए हमेशा मुँह सिकोड़ा
तेरे जैसी नथनी पहनने के लिए
अपनी नाक में बड़ा मोती फसाया
पर तेरा चिंतित चेहरा देख
मैंने उसे खुद ही हटाया
मेरी हर इच्छा पूरी भी तुझे करनी है
और हर मुश्किल में मेरी ढाल भी तू ही बननी है
माँ तू मेरा सबसे मजबूत सहारा है
तेरी ममता का कहाँ कोई किनारा है
माँ तू मेरा सबसे प्रिय उपहार है
जिसके साथ रहना मेरे लिए त्यौहार है
पर हाँ अगर तूने लाड लड़ाया है
तो मुझ पर गुस्सा कर अपना हक भी तो जताया है
अगर ग़लती करने पर माफ किया है
तो सीख देकर अपना गुस्सा भी तो शांत किया है
मेरी सफलता के पीछे तू है
मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी तू है
और मेरा ईश्वर भी तू ही है
बचपन में जो किसी ने पूछा मुझसे
बेटा क्या बनना है तुम्हें
तो मैंने हर बार यही कहा
मेरी माँ प्राची जैसा बनना है मुझे
मेरी माँ प्राची जैसा बनना है मुझे
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि -
इस ममता की मूर्ति को
माँ कहो, अम्मी कहो, बेबे कहो या मॉम
पर पूरा करो इसका सम्मान
किस्मत वालों को ही मिलती है माँ
इसलिए उसे गले लगाकर इतना जरूर कहना-
आई लव यू माँ...

शिविका शर्मा, कक्षा 12-एफ,
एमजीडी गर्ल्स स्कूल, जयपुर

माँ मरहम सा सुख देती है!

ललिता मिश्रा

माँ! जो चोट लगने पर ममता का मरहम देती है
जो ठोकर लगने पर प्यार का सम्बल देती है
वो माँ ही होती है, वो माँ ही होती है ।
निज अंक में समेट के, हर बाधा को धकेल के
सारी पीड़ा को झेल के जो जन्म देती है
वो माँ ही होती है, वो मां ही होती है ।
वो आज को संवारती, वो कल को निखारती
उज्ज्वल भविष्य के स्वप्नों के मोती पिरोती है
वो माँ ही होती है, वो माँ ही होती है।
दुनिया की नज़रों से बचा, राहों से कांटों को हटा
सत पंथ पर आगे बढ़ा जो आँचल की छाया देती है
वो माँ ही होती है, वो मां ही होती है ।
चाहे कितनी भी पीर हो, चाहे कितना भी मन अधीर हो
नैनों में चाहे नीर हो पर हृदय से दुआएँ देती है
वो माँ ही होती है, वो माँ ही होती है।
तज देती अपने सारे सुख, नहीं आने देती कोई दुख
अपना सर्वस्य लुटा कर भी बदले में कुछ नहीं लेती है
वो माँ ही होती है, वो माँ ही होती है। .

काश तू मेरे आंसू पौंछने आ जाए

आज जब इन आँखों से आँसू आए
तो सोचा क्यों न इन्हे पन्नों में क़ैद किया जाए
लगता था पहले की रोते तो कमज़ोर है
पर हम कमज़ोर ही ठीक हैं।
आज यादों का पिटारा खोला तो
माँ, तेरी याद आ गई
आज बीते कल में झाँका तो
माँ, तेरी याद आ गई।
कल के पन्ने पलटे तो
मिली मुस्कुराती हुई मुझे
मेरे आँसू पोंछ कर बोली
चुप हो, वरना मारूँगी तुझे।
जब सात बजे का नाम लेकर
तू छः बजे उठाती थी
गुस्सा तो बहुत आता था
पर मैं कहाँ तुझे समझ पाती थी
आज सात बजे का अलार्म तो लगती हूँ
छः बजे तू ही उठाए, मैं यही चाहती हूँ
हमारी छुट्टी तो आती है
पर क्यों तेरा इतवार नही आता
क्यों हर किसी को मां
तेरी तरह प्यार नही आता
मैं जताती नही इसका मतलब ये नही
की मुझे तेरी याद आती नहीं
मेरी आँखें पढ़कर मेरा भाव समझ जाती
और तेरी बेटी कैसी कि तुझे थैंक्यू भी नही बोल पाती
ये आंसू तो रुक नही रहे
कहीं स्याही खत्म न हो जाए
काश हमेशा की तरह आज भी
तू मेरे आँसू पौंछने आ जाए
तू मेरे आँसू पौंछने आ जाए।

प्राची शर्मा
एमजीडी गर्ल्स स्कूल,
जयपुर

दो काव्य संग्रहों का लोकार्पण

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। जयपुर कला साहित्य संस्थान के तत्वावधान में युवा कवयित्री शालिनी अग्रवाल 'सुकून'' के दो काव्य संग्रहों ''सुकून की नज़्में'' और ''मेरे आसपास '' का चेंबर भवन में लोकार्पण किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि नन्द भारद्वाज एवं वरिष्ठ शायर डॉ. मोहम्मद हुसैन ने अध्यक्षता की। वरिष्ठ व्यंग्यकार और कवि फारूक आफ़रीदी, एसीपी सुनील प्रसाद, पूर्व उपमहापौर मनीष पारीक, प्रमुख शायर इरशाद अज़ीज़ ,जयपुर रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट सुनील दत्त गोयल, ऐत्यादि जयपुर की गण मान्य लोग लोकार्पण अवसर पर मौजूद थे। जानी मानी कवयित्री डॉ. संगीता सक्सेना और उषा दशोरा ने शालिनी के इन काव्य के रचनात्मक पक्षों की समीक्षा प्रस्तुत की।

विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कवि और व्यंग्यकार फारूक ने कहा कि शालिनी अग्रवाल की कविताएं गहरे अहसास की कविताएं हैं। इस मौके पर कवयित्री शालिनी अग्रवाल सुकून ने इस मौके पर चुनिंदा कविताएं और नज़्म पेश करते हुए कहा कि जब भी वे अपने परिवेश और आसपास समाज में कुछ गलत और असंगत होते देखती हैं तो कविताओं से उन्हें वाणी देने का रचनात्मक प्रयास करती हैं। और भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम हिंदुस्तानी भाषा (हिंदी+उर्दू) है। कविता उनकी ही नहीं कमजोरों की शक्ति हैं। लोकप्रिय शायर इरशाद अज़ीज़ ने उनकी रचनाओं की चर्चा करते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन किया। लोकार्पण समारोह में हिंदी और उर्दू साहित्य की अनेक नामचीन विभूतियाँ मौजूद रही।

स्कैच कहानी संग्रह का विमोचन

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। योगेश कानवा के नए कहानी संग्रह स्कैच का विमोचन लिटकन आर्ट के बैनर तले पिंक # कैफ़े के कवि, लेखक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री टीकम चंद बोहरा, राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के पूर्व अध्यक्ष प्रो संजीव भानावत, प्रख्यात उपन्यासकार डॉ प्रबोध गोविल और पी आर एस आई जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष श्री रविशंकर शर्मा द्वारा किया गया। समारोह का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत योगेश कानवा, शिवांगी कानवा, रमाकांत अटल और डॉ राकेश रायपुरिया ने किया।

मुख्य वक्त प्रो भानावत ने पुस्तक की की टिपण्णी करते हुए कहा कि इस संग्रह में कुल 28 कहानियाँ हैं जो सभी प्री कोविड काल में लिखी गयी हैं। इन कहानियों में पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक मूल्यों को अंकित करने का प्रयास है। शब्द अपने आस पास के जीवन से उठाये गए हैं। श्री टीकम चंद बोहरा ने कहानी एक मरी हुयी नदी की व्याख्या करते हुए कहा कि नदी जो सबका पोषण करती है लेकिन मानव के लालच ने उस नदी को ख़त्म कर दिया है। आज यही सब हो रहा है। श्री रविशंकर शर्मा ने योगेश कानवा को पी आर एस आई विशिष्ठ उपलब्धि सम्मान के लिए बधाई देते हुए कहा की उनका साहित्य वास्तव में पढ़ने के लिए पाठक को विवश करता है। उनकी लेखन शैली सहज और भाषाई दुरूह से दूर है। इस समारोह का संचालन रेनू शब्द मुखर ने किया। समारोह का समापन लिटकन आर्ट वर्क्स की चेयरपर्सन शीलू कानवा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

उमंग के प्रांगण में कला मंज़र की नृत्याभिव्यक्ति

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। गत शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष में कला मंज़र संस्था द्वारा उमंग स्कूल में मानसिक रूप से विशेष योग्य बच्चों के साथ 'नृत्य - तरंग' कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सामान्य श्रेणी के प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापित करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों व लोक कलाकारों ने भी विशेषयोग्य बच्चों के साथ मंच साझा किया जिसका उद्देश्य विशेषयोग्य बच्चों को आम धारा से जोड़ना है। आयोजन की अध्यक्षता नृत्य गुरु उषा श्री ने की तथा वरिष्ठ IAS अधिकारी नवीन जैन ने मुख्य अतिथि व वरिष्ठ कथक गुरु प्रेरणा श्रीमाली ने विशिष्ट अतिथि के रूप में आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरूआत दीपप्रज्वलन के साथ हुई। पूनम माथुर ने सरस्वती वंदना गाई। उसके बाद विशेषयोग्य बच्चों ने दिल को छू लेने वाला नृत्य प्रस्तुत किया साथ ही अन्य बच्चों ने भी राजस्थानी लोकगीतों पर बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दीं। बच्चों का मनोबल बढ़ाने हेतु वरिष्ठ कथक गुरु डॉ गीता रघुवीर व अंतरराष्ट्रीय कालबेलिया नृत्यांगना चिरमी सपेरा ने भी विशेष नृत्य प्रस्तुत किया। संस्था की अध्यक्ष शोभा सक्सेना ने सब का स्वागत करते हुए संस्था के उद्देश्यों के बारे में बताया व फाउंडर मीनाक्षी माथुर ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए संस्था के भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन आर जे रविंन ने किया। स्कूल की डायरेक्टर दीपक कालरा व समाजसेवी अरुण शर्मा, वरिष्ठ रंगकर्मी रुचि भार्गवा, समाजसेविका पूजा उपाध्याय, वरिष्ठ रंगकर्मी सरस्वती उपाध्याय सहित अनेक गणमान्यजन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

hillviewsamachar@gmail.com

हिलव्यू समाचार

07

जयपुर >> शुक्रवार 29 अप्रैल से शनिवार 7 मई 2022

ब्लैक टाइगर... रविंद्र कौशिक

व्यक्तित्व

रेखा शाह आरबी
बलिया (यूपी)
स्वतंत्र कार

देश की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा में सेना लगी हुई है और देश के भीतरी भाग में पुलिस तैनात बल खड़ी है इन योद्धाओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता पर इनके अलावा एक और योद्धा है जो इन से भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और उनकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती है, वह है हमारे देश के जासूस।

देश की सुरक्षा सुरक्षित रहे इसके लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मन की मांद से देश हित में सूचनाएँ इकट्ठा करते हैं और समय-समय पर उचित एजेंसियों को पारित करके यह अदृश्य योद्धा देश की मदद करते हैं।

ऐसे ही एक योद्धा थे रविंद्र कौशिक जिन्होंने अपने जीवन के अधिकतर अमूल्य समय को देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया भारत के लिए खुफ़िया एजेंट का काम करते हुए तक़रीबन 26 साल पाकिस्तान में रह कर गुज़ार दिए और देश के लिए सूचनाएं इकट्ठे करते। उनके द्वारा भेजी गई जानकारियों के कारण भारत उस समय हमेशा पाकिस्तान से हर मोर्चे पर एक क़दम आगे रहा। रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फ़ौज में भर्ती होकर मेजर के पद तक पहुँच गए थे। दुश्मन के फ़ौज में मेजर के पद तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता इसके लिए असाधारण काबिलियत और चतुराई की ज़रूरत होती है ग़लती की एक भी गुंजाइश नहीं होती और उन्होंने अपनी काबिलियत और चतुराई से वहां तक पहुंचे और भारत के लिए अनेक खुफिया जानकारियां पारित किए हैं। 1979 से लेकर 1983 तक उन्होंने देश के लिए बहुमूल्य जानकारी पारित किए जो भारतीय सुरक्षा बल के लिए अमूल्य थी।

उन्हें भारत के उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री एस वी चव्हाण ने ब्लैक टाइगर की उपाधि प्रदान की है। आईबी के वरिष्ठ अधिकारी रहे एम के धरन ने रविंद्र कौशिक पर लिखी गई एक किताब में मिशन टू पाकिस्तान में लिखा था - वह हमारे देश के अमूल्य धरोहर थे उन्होंने पाकिस्तानी सेना में रहते हुए अहम जानकारी देकर क़रीब 20000 सैनिकों की जान बचाई थी।

हालांकि साल 1983 में रविंद्र कौशिक तब संकट में पड़ गए जब उनकी मदद के लिए भारत से भेजे गए एक ज़ासूस इनायत मसीह नाम के ज़ासूस की एक ग़लती से उनका भेद खुल गया और इन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया। कैद में रहते हुए इन्होंने अनेक अनेक प्रताड़ना झेली, पर इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और बहुत सालों तक प्रताड़ना झेलते हुए ही पाकिस्तानी जेल में इनकी तपेदिक और टीवी से मौत हो गई।

और एक योद्धा का इस प्रकार दुखद अंत हो गया यह तो एक रविंद्र कौशिक की कहानी थी पर इनके अलावा बहुत से ज्ञात अज्ञात अदृश्य योद्धा आज भी अपनी मातृभूमि के लिए अनेक अनेक जगहों पर जान की बाजी लगा रहे होंगे ताकि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। उनके त्याग और बलिदान का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। हमारा सम्मान और हमारी उनके प्रति श्रद्धा ही उनका पुरस्कार होगी।

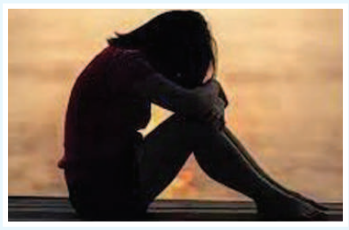

दर्द

1.
दर्द का भी
अपना हिसाब है
मर्द को होता नहीं
और
औरत को छोड़ता नहीं
2.
दर्द
इंसान को
कभी खाली नहीं रहने देता
वरना
खाली रहना बहुत बड़ा दर्द है
3.
दर्द
कैसा भी हो
एक सीमा के बाद
अपना लगने लगता है
क्योंकि
अपनों से ज़्यादा दर्द
किसी और से नहीं होता
4.
दर्द
पालते रहना चाहिए
क्षणभंगुर खुशी के बाद
यही शाश्वत है
और
यही अनश्वर है
5.
दर्द
कभी सरहदों में
बँधा नहीं होता
उस पार
जब ज़मीं रोती है
इस पार
फ़सल कभी अच्छी नहीं होती
6.
दर्द
किसने दिया से
ज़्यादा ज़रूरी है
दर्द क्यों लिया
हर एक से
हर चीज़ ली नहीं जाती
7.
दर्द
पीठ दिखा कर भागता नहीं
साथ-साथ चलता रहता है
तब तक
जब तक
इसे स्वीकार नहीं लिया जाता
8.
दर्द
हर द्वार पर
किसी देवता की तरह
खड़ा रहता है
और इंतज़ार में रहता है
अपने अर्घ्य के लिए
9.
दर्द
सिर्फ़ चीख-चीत्कारों में
घर नहीं करता
उससे पूछो
जो बोल सकता है
लेकिन कभी बोलता नहीं
10.
दर्द
सफ़र है
हम पथिक की तरह
उसके रास्ते में
आते-जाते रहते हैं

सलिल सरोज
कार्यकारी अधिकारी
लोक सभा सचिवालय
संसद भवन, नई दिल्ली

आलेख

मानव और मशीन में फ़र्क़

मशीन के भीतर, मशीन ही धड़कता है भावनाओं के भंडार से सराबोर दिल सिर्फ़ इंसान के शरीर में ही धड़कता है। तो क्यूँ आज-कल हम हमारी परवाह में धड़क रहे दिलों को नज़र अंदाज़ करते मशीन के भीतर परवाह ढूँढ रहे हैं?

छोटे से मशीन पर अंगूठा चलाते लोगों के मन में भी क्या फ़ितूर छाया है, अपनों को छोड़ परायों से प्रीत का ज़माना आया है।

क्यूँ हम अपनों से दूर और आभासी लोगों के क़रीब होते जा रहे है? समाज की ये बहुत बड़ी विडंबना है। संयुक्त परिवार एकल-दुकल दिख रहे है। भाई भाई से जुदा हो रहे है, पति-पत्नी से और बच्चें माँ-बाप से। और यूँ पूरे परिवार तितर-बितर हो रहे है। इंसान के दिमाग में इतना वैमनस्य भर गया है की प्यार, परवाह, सम्मान के लिए जगह ही नहीं बची। उसके विपरीत सब ग़ैरों में वह अपनापन ढूँढ रहे है, वो भी उन ग़ैरों में जो न कभी दिखते है, न मिलते है, न हीं कोई काम आते है। सिर्फ़ उपरी सतह का प्यार जताकर ख़ुश करने में माहिर होते है।

ज़रा सोचो साथ में रखे बर्तन भी टकराव पर आवाज़ करते है, तो हम बर्तनों को फैंक नहीं देते। तो ज़ाहिर सी बात है एक छत के नीचे रहते लोगों के बीच भी मतभेद होते रहेंगे, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं की रिश्ता तोड़ लिया जाए अपनों को दूर कर दिया जाए। अपने जैसे भी हो मुसीबत के वक्त वही काम आएंगे, उसी को परवाह होगी। यह जो मोबाइल जैसे छोटे से मशीन के भीतर से आपकी तस्वीरों पर या पोस्ट पर लाइक कमेन्ट से वाह-वाही कर रहे है उसमें से एक भी काम आने वाला नहीं।

आभासी लोग बेशक टाइम पास के लिए बनते है दोस्त, कहाँ पाँच पचास रुपये खर्च करने है आपके लिए उनको, सिर्फ हाय हैलो गुड मार्निंग, गुड नाइट ही तो करनी है। उस पर भी एक दो बार रिप्लाइ ना देने पर आप अनफ्रेंड कर दिए जाओगे या ब्लॉक लिस्ट की शोभा बढ़ाते नज़र आओगे। इसलिए याद रखिए आभासी दोस्तों पर इतराते अपनों के प्रति दुर्व्यवहार आपको परिवार और समाज से दूर कर देगा।

है अपने जो साथ तो जीवन आसान है, परायों के प्रेम में वो बात नहीं जो अपनों की नाराज़गी में है। हमारे अपने चाहे कितने नाराज़ हो पर हमारे चेहरे पर चिंता की हल्की सी शिकन भी पहचान कर गले गलाकर कहेंगे चिंता मत कर 'मैं हूँ न' मैं हूँ न ये तीन शब्द हमारा आधा दुःख हर लेते है। पर क्या दूर बैठा आभासी महज़ कहने भर को अपना इस भाव को महसूस कर पाएगा? हरगिज़ नहीं उनकी अपनी एक दुनिया है, अपना परिवार है, वह खुद अपनी ज़िंदगी में इतना उलझा है कि वह भी आपकी तरह छोटे से मशीन में चंद पल दिमाग तरोताज़ा करने ही आता है न कि आपको सहारा देने। उनके सहारे ज़िंदगी का सफ़र तय नहीं होगा। जो क़रीब है वही ज़िंदगी के सफ़र में हाथ थामकर आगे बढ़ने में सहाय करेगा।

जवानी के जोश में सब अपनों को परे कर लेते है, पर अकेलेपन का अजगर अभी नहीं बुढ़ापे में गरदन मरोड़ेगा तभी कोई अपना आसपास नहीं होगा। पर बेशक वही अपने आपकी एक पुकार पर दौड़े चले आएंगे। तो अपनों और आभासियों में फ़र्क समझो और परिवार को गले लगाकर, मिल जुलकर अपनों का हाथ थामें ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाओ।

भावना ठाकर 'भावु' बैंगलोर

लघुकथा

समस्या का हल

बच्चे जब छोटे थे तब चल जाता था। माँ-पिताजी का समय उनके साथ कट ही जाता था। पर अब बच्चे बड़े हो गये। बाहर पढ़ने चले गये। हम दोनों हसबेंड-वाइफ जॉब में हैं। बाहर चले जाते हैं दिन भर के लिए। शहर में पले-बढ़े सुशील जी अखबार पकड़े अपनी छत से अपने पड़ोसी राघव जी से बतिया रहे थे। वे आगे बोले- मैंने अपनी वाइफ से विचार-विमर्श करके अपने माँ-पिताजी के पास उन्हें वृद्धाश्रम में रखने वाली बात रखी। पहले माँ-पिताजी को अच्छा नहीं लगा। दो-चार दिन तक ना-नुकुर करते रहे; फिर मान गये वे दोनों और स्वयं वहाँ चले गये। इस तरह हमारी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गयी। हमारा शहर गाँव से बेहतर है इस मामले में।

हूँ... हूँ... करते राघव जी अपनी छत पर खड़े होकर सुशील जी की बातें सुन रहे थे। बोले- हमारे यहाँ गाँव में ऐसा नहीं होता जी, और होना भी नहीं चाहिए।

तभी तो बोल रहा हूँ राघव जी। आप दोनों भी सर्विस में हैं। आप अपने माँ-बाबूजी को यहीं ले आइए। बीच में ही सुशील बोल पड़े- घर में दस-पंद्रह दिन रहने दीजिए। फिर उन्हें वृद्धाश्रम पर शिफ्ट कर दीजिए। आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या है कि हमारे शहर में अच्छी सुविधा है। इस तरह के मामले में शहर गाँव से लाख गुना अच्छा है।

देखिए सुशील जी! हमारे गाँव में यह सब नहीं होता। गाँव में यह कोई जटिल समस्या नहीं होती कि पेरेंट्स को ऐसी जगह पर ले जाना पड़े इस उम्र में। यदि गाँव में कोई भी शख़्स अपने बूढ़े माता-पिता की देखरेख करने में सक्षम नहीं होता तो कैसे भी करके गाँव वाले, आप जिसे क्रिटिकल समस्या कह रहे हैं, इसकी कुछ न कुछ उचित व्यवस्था कर लेते हैं। इस तरह की समस्या का हल हमारे गाँव में ऐसे ही होता है। कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर अपनी-अपनी छत से उतर गये।

दूसरे दिन सुबह सुशील जी राघव जी को बड़े व्यस्त देख पूछा- क्यों राघव जी, क्या हुआ कल वाली आपकी समस्या की?

मैंने भी अपनी समस्या सुलझा ली सुशील जी। राघव जी ऊपर छत की ओर देखते हुए बोले।

मेरा मशविरा काम आया न? कुटिल मुस्कान भरते हुए सुशील जी बोले।

जी नहीं! भाई, मैंने अपनी समस्या अपने तरीके हल की है। सुशील जी कहने लगे- आज से ही हम गाँव में शिफ्ट हो रहे हैं। अब गाँव में माँ-बाबूजी हमारे साथ नहीं रहेंगे; बल्कि हम उनके साथ रहेंगे। वहीं से हम दोनों यहाँ आना-जाना करेंगे। गाँव ही अच्छा है इस शहर से ऐसे मामलों में।

राघव जी की बातें सुन सुशील जी कुछ नहीं बोले। अपनी ओर घूरती हुई अपनी धर्मपत्नी को देख वे सुटुर-पुटुर करने लगे।

टीकेश्वर सिन्हा गब्दीवाला
बालोद- बालोद (छत्तीसगढ़)

हमारे वन्य जीव : लेपर्ड

बच्चों, लेपर्ड शब्द लायन और पैंथर के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसी तरह पैंथर भी ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों 'पैन' जिसका मतलब है 'ऑल' और 'थर' मने 'बीस्ट्स ऑव प्रे' से मिलकर बना है। दरअसल यूँ तो 'पैंथर' लफ़्ज़ तो चार बिग कैट्स लायन, टाइगर, जैगुआर और लेपर्ड के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम इससे जैगुआर या लेपर्ड के मेलनिस्टिक ब्रीड के जंतुओं को ही समझते हैं। मेलनिस्टिक सिचुएशन एक जेनेटिक सिचुएशन है, जिसमें प्राणियों में ब्लैक पिग्मेंटेशन इतना बढ़ जाता है कि वो हमें प्राकृतिक रूप से ही काले लगने लगते हैं। यही कारण है कि हम पैंथर को काला ही मानने लगे हैं और लेपर्ड को गोल्डन स्किन पर चकत्ते वाला।

नैशनल जियोग्राफ़िक मैगज़ीन तो यही मानती है कि ये एक तरह का 'अंब्रैला टर्म' है, क्योंकि मेलनिज़्म से ब्लैक होने के बावजूद अगर सूरज की रोशनी में देखने पर ब्लैक पैंथर पर भी चकत्ते नज़र आते हैं।

हालाँकि ब्लैक पैंथर रेअरली

नज़र आते हैं, पर कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वो कोई अलग से सबस्पीसी नहीं है। यहाँ आम लोगों के लिए दुविधा सी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनका कहना है कि एशिया और अफ़्रीका के लेपर्ड तथा लेटिन अमेरिका के जैगुआर मेलिनिस्टिक होने पर ही पैंथर कहे जाते हैं, यानी कि एशिया और अफ़्रीका के ब्लैक कोटेड लेपर्ड तथा सेंट्रल व साउथ अमेरिका के ब्लैक कोटेड जैगुआर को ही ब्लैक पैंथर मान लिया गया है। ये बात सच भी है। लेकिन दुविधा फिर भी बरकरार है। लेपर्ड और पैंथर दोनों में ही ग़ज़ब की रोअर करने की ताक़त होती है। लेपर्ड इन चारों बिग कैट्स में सबसे छोटा होता है। पैंथर एशिया, अफ़्रीका और अमेरिका में पाये जाते हैं। इस खूबसूरत जीव ने खुद को इतनी बखूबी एडेप्ट किया है कि इनके हैबिटेट्स रेगिस्तान से लेकर स्वैम्पलैंड, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल जंगल, पहाड़, मार्शलैंड्स के वाइड रेंज तक विस्तृत हैं। ये बेहद स्ट्रिंग और बुद्धिमान जानवर है। इसके हाइंड- लैग्स फ़्रंट की तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं। ये बड़ी आसानी से पेड़ों पर जा बैठते हैं और दिन भर सोने के बाद रात को अपने शिकार पर निकलते हैं और चुपके से उस पर पाउंस करके जकड़ लेते हैं । एमरल्ड-ग्रीन आँखों वाले ये सुंदर बिग कैट्स भी हैबिटेट लॉस के कारण इनडेन्जर्ड कैटेगरी में शामिल हैं। है न कितने अफ़सोस की बात बच्चों?

क्रमशः

डॉ कविता माथुर

आठ विलाज को किया सील, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा गुरूवार को कार्रवाई करते हुए जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर बिल्डिंग बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रातों-रात बने 08 अवैध विलाज को सील किया एवं निजी खातेदारी करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम-आकेडा, लक्ष्मीनारायणपुरा, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवें के पास खसरा नं. 2-10 व 15 से 20 में करीब 440 वर्गगज कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भूरूपातरण कराये रातों-रात व्यावसायिक प्रयोजनार्थ से एक दूसरे से लगते हुए लगातार 08 अवैध विलाजो का ढांचा खडा कर फिनिशिंग का कार्य करने पर दिनांक 13.04.2022 को अवधान में आते ही जेडीए एक्ट की धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उक्त अवैध निर्माण को नही हटाने पर व पूर्ण होकर रहवास हो जाने की सम्भावनाओ की दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से

स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 30.04.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार आज दिनांक 05.05.2022 को अवैधरूप से बनाये गये उक्त अवैध व्यावसायिक 08 विलाज के प्रवेश द्वारो, सीढ़ियों को जविप्रा की इंजिनियर शाखा से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सींल चपडी लगाकर पुख्ता सिलिंग कार्यवाही की गई। सम्बन्धित से सिलिंग में जविप्रा के प्रयुक्त संशाधनों के खर्चे की वसूली की जायेगी।

जोन-13 के क्षेत्राधिकार में ग्राम-मोटू का बास में अवस्थित करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये ''गोविन्द विहार'' के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

सूचना आयोग ने विकास अधिकारी पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने सूचना आवेदनों की अनदेखी और सूचना मुहैया कराने में कोताही बरतने के मामलो में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रति सख़्ती दिखाई है। आयोग ने लूणकरणसर के विकास अधिकारी पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने निम्बाहेड़ा के विकास अधिकारी और गंगानगर जिले में एक ग्रामीण विकास अधिकारी पर पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है।

इसके साथ ही आयोग ने पिछले कुछ दिनों में कोई एक दर्जन ग्रामीण विकास अधिकारियों पर दो दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने तीन साल तक एक नागरिक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर लूणकरणसर के विकास अधिकारी के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक स्थानीय नागरिक बी एल शर्मा ने आयोग में अपील दायर कर कहा कि उन्हें तीन साल से भी अधिक का वक्त गुजरने के बाद भी सूचना नहीं दी गई है।

शर्मा ने वर्ष 2018 में एक अर्जी दाखिल कर लूणकरणसर में छह पेंशनधारियों के वजूद को लेकर जानकारी मांगी थी। इन पेन्शनधारियो

को प्रतिमाह 750 रूपये पेंशन मिलती है। विकास अधिकारी ने पहले इसे कोषाधिकारी से संबद्ध बताया। लेकिन कोषाधिकारी ने कहा पेंशनधारी का भौतिक सत्यापन विकास अधिकारी करते हैं। इसके बावजूद भी शर्मा को सूचना नहीं दी गई। इस पर आयोग ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए विकास अधिकारी को रिकॉर्ड के मुताबिक 15 दिन में सूचना देने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग के आदेश की प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है।

आयोग ने गंगानगर जिले में चूनावड़ के ग्रामीण विकास अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कई बार नोटिस जारी कर अधिकारी को अपना पक्ष रखने को कहा। लेकिन वे हाज़िर नहीं हुए। चित्तोड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के विकास अधिकारी पर भी आयोग ने पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

आयोग ने यह जुर्माना तब लगाया जब एक स्थानीय नागरिक ने आयोग में शिकायत की कि उन्हें सामुदायिक विकास कार्यो के निर्माण की जानकारी नहीं दी जा रही है।

सूचना आयुक्त बारेठ ने भिन्न भिन्न जिलों में कोई एक दर्जन ग्रामीण विकास अधिकारियों पर सूचना कानून की अवहेलना करने पर दो दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया है। इनमे राजसमंद, बांसवाड़ा, बीकानेर और गंगानगर जिलों के ग्राम विकास अधिकारी शामिल है। आयोग ने इन अधिकारियो को नागरिको को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

इससे पहले आयोग ने अपने एक अन्य आदेश में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को सूचना अधिकार कानून की धारा 4 की पालना पुख्ता करने का निर्देश दिया था। इसके तहत आम अवाम से जुड़ी जरूरी सूचनाएं और निर्णय स्वत स्फूर्त सार्वजनिक पटल पर प्रकाशित और प्रसारित करने का प्रावधान है।

hillviewsamachar@gmail.com

हिलव्यू समाचार

08

जयपुर >> शुक्रवार 29 अप्रैल से शनिवार 7 मई 2022

सैनिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी विसंगतियों को सभी स्तरों पर दूर किया जाएः कलराज मिश्र

राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड और अमलगमेटेड फण्ड की बैठक

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सैनिक कल्याण सम्बन्धित योजनाओं से जुड़ी विसंगतियों को सभी स्तरों पर दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों की देखभाल, उन्हें रोजगार प्रदान करने आदि के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। उन्होंने सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी प्रकरणों में सभी सरकारी विभागों को समन्वय रखते हुए समयबद्ध कार्य करने का भी आह्वान किया। मिश्र बुधवार को राजभवन में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 14 वीं बैठक और अमलगमेटेड फण्ड की प्रबन्धकारिणी समिति की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा, राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह जसोल, उपाध्यक्ष रामसहाय बाजिया, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, सैनिक कल्याण एवं राजस्व, उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्दराम जायसवाल, सैन्य अधिकारीगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि शहीदों के परिजनों को समाज में विशेष सम्मान प्रदान करना, उनकी देखभाल करना तथा उनकी सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेस के शहीद एवं स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों को भूमि आवंटन संबंधी नियमों में पारदर्शिता के साथ व्यावहारिकता पर भी जोर रहना चाहिए।

राज्यपाल ने सेना मेडल धारकों से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं, सम्मान राशि और अन्य संबंधित विसंगतियों को भी दूर किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का आधुनिकीकरण कार्य समयबद्ध किए जाने के भी निर्देश दिये ताकि वहां आने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए भी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों के अनुभव का लाभ प्रदेश के विकास के लिए भी लिया जाए। सैनिक कल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यों, विकास योजनाओं, स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों के लिए दिए जाने वाले भत्ते, शौर्य पदक धारकों को देय सुविधाओं आदि की भी राज्यपाल श्री मिश्र ने बैठक में समीक्षा की। राज्यपाल ने शहीद सैनिकों के आश्रितों के नियोजन की जटिलताओं को दूर करने और ऐसे लम्बित प्रकरणों का प्रभावी निस्तारण करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण योजनाओं और शहीदों एवं पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की जानकारी दूर-दराज के क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को भी हो सके, इसके लिए विभाग और अमलगमेटेड फण्ड के स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों और वीरांगनाओं के कल्याण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों और स्थायी विकलांग सैनिकों को भूमि आवंटन, भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियों में आरक्षण सहित राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी सुविधाओं का उन्हें समयबद्ध, अधिकाधिक और त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को जल्द दी जाए नियुक्तिः सिंघवी

छबड़ा। छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अध्यापक भर्ती 2021 लेवल-प्रथम में एमबीसी वर्ग के 233 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के पश्चात नियुक्ति से वंचित किए जाने पर भर्ती में पद बढ़ाकर वंचितों को नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 15.10.2019 को एक याचिका पर निर्णय में कहा गया है कि एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले सामान्य वर्ग में गिना जाएगा फिर ओबीसी वर्ग में और बाद में एमबीसी वर्ग में गिना जाएगा, किन्तु सरकार बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके हाईकोर्ट के फैसले को जानबूझ कर लागू नहीं कर रही है।

सिंघवी ने कहा कि अध्यापक भर्ती 2021–22 में एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करने के पश्चात नियुक्ति देने से वंचित कर दिया है, यदि वंचित अभ्यर्थी पात्र नहीं थे तो इन्हें मेरिट में लिया जाकर जिला आवंटन नहीं करना चाहिए था इस प्रकार अभ्यर्थियों को पहले तो जिला आवंटन करना और बाद में नियुक्ति से वंचित करना बेरोजगारों के साथ अन्याय है। वंचित किए गए बेरोजगार अभ्यर्थी अपना घर–परिवार छोड़कर शहीद स्मारक, जयपुर में इस भीषण गर्मी में धरना दे रहे है। विधायक सिंघवी ने सरकार से मांग की है कि अध्यापक भर्ती 2021 लेवल-प्रथम में पद बढ़ाकर एमबीसी वर्ग के वंचित 233 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति प्रदान करें।

शराब ठेके को लूटने की योजना बनाते आठ बदमाश गिरफ्तार अवैध हथियार एवं दो बोलेरो कैंपर जब्त

हिलव्यू समाचार

सीकर। जिले की थाना खाटूश्यामजी पुलिस ने शराब ठेके में डकैती की योजना को विफल कर दिया है। मण्डा रोड से 1 किलोमीटर दूर सांवलपुरा गांव के पास सुनसान रास्ते पर खड़ी दो बोलेरो कैंपर गाड़ी की ओट में छुप कर शराब ठेके को लूटने की योजना बना रहे 8 बदमाशों को थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया।

सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर थानाधिकारी रिया चौधरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल हरि सिंह, मुकेश कुमार व सावंत राम तथा कॉन्स्टेबल रोहिताश प्रेम कुमार, जुगन, मुकेश कुमार, जय सिंह, सुभाष, श्रवण कुमार एवं सायर सिंह हणमानपुरा तिराहा मण्डा रोड से 1 किलोमीटर दूर सांवलपुरा गांव के पास पहुंचे। जहां खेतों के पास खड़ी दो बोलेरो कैंपर गाड़ी के पीछे छुपकर 7-8 बदमाश शराब ठेके को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम को देख बदमाश भागने लगे, घेरा देकर 8 बदमाशों को पकड़ा गया। इन्हें किया गिरफ्तार थाना पुलिस ने डकैती की योजना में भगवान सहाय जाट पुत्र कजोड़ मल (45) निवासी गोवटी थाना खाटू श्याम जी, जितेंद्र उर्फ जिल्या जाट पुत्र सागरमल (35) निवासी लापूवा थाना रींगस, रविंद्र राजपूत पुत्र तेजपाल सिंह (20) निवासी देवीपुरा थाना उद्योग नगर, सिद्धार्थ राजपूत पुत्र भंवर सिंह (30) निवासी डूकिया थाना खाटू श्यामजी, सोनू सिंह राजपूत पुत्र महेंद्र सिंह (21) निवासी गोवटी थाना खाटू श्यामजी, श्रवण सिंह जाट पुत्र केशर देव (32) निवासी भैरूपुरा थाना सदर, श्रीराम जाट पुत्र सुल्तान सिंह (21) निवासी सामोता की ढाणी थाना खंडेला एवं राजेंद्र उर्फ राजू जाट पुत्र रामचंद्र (34) निवासी चंद्रपुरा थाना सदर सीकर को गिरफ्तार किया है।

अवैध हथियार एवं दो वाहन जप्त अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल मय पांच जिंदा कारतूस, एक देशी कट्टा, दो लोहे की रॉड, दो लोहे के पाइप, दो बांस की लकड़ी के डंडे तथा दो बोलोरो कैंपर गाड़ी जिसमें एक बिना नंबर की तथा दूसरी के आगे पीछे की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई, जप्त की है।

बाघों के संरक्षण के लेकर सीएम गहलोत ने ली बैठक

सरिस्का का बनेगा मास्टर प्लान

हिलव्यू समाचार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बाघों के संरक्षण को लेकर गंभीर है और सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. सरकार की तरफ से 'प्रोजेक्ट टाईगर' और 'ईको-टूरिज्म' नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते रणथम्भौर में दुनियाभर से पर्यटकों का आगमन हो रहा है. गहलोत ने कहा कि इसी तर्ज पर सरिस्का बाघ परियोजना के लिए भी मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री निवास पर रणथम्भौर, सरिस्का और मुकुन्दरा बाघ परियोजना के प्रबंधन और बाघों के संरक्षण के संबंध में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सरिस्का में 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या में ढाई गुना वृद्धि हुई है, जिसके चलते यहां वन्यजीव प्रेमियों एवं पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. मुख्यमंत्री ने मुकुंदरा में हो रहे बाघ संरक्षण के कार्यों का फीडबैक लेते हुए, वहां चल रहे ग्राम विस्थापन, प्रे बेस सुधार, हेबिटेट सुधार को गति देने और विकास कार्यों में आ रही. विभिन्न बाधाओं का शीघ्र निवारण करने के निर्देश दिए. रणथम्भौर में क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण उनका पलायन धौलपुर और करौली की तरफ हो रहा है. मुख्यमंत्री ने इन बाघों और उनके शावकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए. गहलोत ने कहा कि आज देश बाघ संरक्षण में अग्रणी है. वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाईगर के क्रियान्वयन में पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के अथक प्रयासों ही सम्भव हो सका है. उन्होंने प्रोजेक्ट टाईगर के प्रथम निदेशक कैलाश सांखला के योगदान की सराहना की. साथ ही बाघों की पहचान के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए राज्य वन्यजीव मण्डल के सदस्य वीरेन्द्र गोधा के कार्यों की भी सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के मध्य आ रहे गांवों के स्वैच्छिक विस्थापन को गति प्रदान करने के लिए विकल्प के रूप में कृषि भूमि अलावा शहरी क्षेत्रों में भी रिहायशी भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की गई है. ग्राम वासियों से अधिक से अधिक सम्पर्क कर उन्हें इस योजना के बारे में अवगत कराया जाए. मुख्यमंत्री ने रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा बाघ परियोजना में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण, संवेदनशील क्षेत्रों में कच्चे रास्ते, पेट्रोलिंग ट्रैक की संख्या बढ़ाने एवं चौकियों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लगाने के भी निर्देश दिए. गहलोत ने अधिकारियों को बाघ हमले में मौत और घायल होने पर दिये जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हमले में मरने वाले के परिवार को आर्थिक सम्बल देना राज्य सरकार का दायित्व है. साथ ही ऐसे हमलों में होने वाली मवेशियों की मौतों पर मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की जाए. क्योंकि बाघ परियोजनाओं की सीमाओं से लगे हुए गांवों में अधिकतर लघु किसान रहते हैं और पशुपालन ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाघ परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि वन्य जीवों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसके लिए परियोजना की सीमाएं साइलेन्ट जोन घोषित करने और संबंधित कलक्टरों को इस बाबत एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों से लगी सीमाओं पर चल रहे होटलों में लाउड म्यूजिक, लेजर शो और आतिशबाज़ी जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाएं. गहलोत ने हाल ही सरिस्का के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए किए अग्निशमन विभाग के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के कारण कई वन्य जीवों की जान बची और आगजनी से होने वाले नुकसान से पर्यावरण को बचाया जा सका है।

सरस पार्लर पर दूध जलेबी और पनीर पकौड़ों के साथ स्पेशल समोसा भी महास्वाद की चर्चा में शामिल

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जेएलएन मार्ग पर स्थित सरस पार्लर की सरसता सात साल से ठंडे बस्ते में बन्द कर दी गयी थी। सरस के इस सूनेपन को ऊष्मा और ऊर्जा से लबरेज़ कर सरस की नवपदासीन प्रबंधक सुषमा अरोड़ा ने जयपुरवासियों को फिर स्वाद की नई सौगात दी। सरस पार्लर की प्रबन्धक सुषमा अरोड़ा प्रबंधन के साथ-साथ सरस स्वभाव से भी लोगों का हृदय जीत रहीं हैं। किसी ग्राहक को हुई असुविधा की शिकायत करने पर तुरंत उसका निदान कर प्रबन्धक अरोड़ा ने अपनी कार्यकुशलता व कुशल प्रबंधन का भी परिचय दिया। साथ ही ग्राहक को उसकी आधिकारिक सुविधा के साथ कॉम्पिलमेंट्री ड्रिंक भी उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि ग्राहक ही इस पार्लर का भगवान है अतः उसकी सुविधा व अधिकार का ध्यान रखना व उनके सुझावों को सर्वोपरि रखना भी सरस का ध्येय है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर के हैपनिंग स्पॉट के रूप में पहचान रखने वाला सरस पार्लर पर सात साल बाद फिर से रौनक लौट आई है। JLN मार्ग पर स्थित सरस पार्लर पर दूध-जलेबी, समौसा-पनीर पकौड़ा का जायका जयपुरा निवासी अब फिर से ले सकेंगे। RCDF एमडी सुषमा अरोड़ा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरा पार्लर नए क्लेवर में नजर आने लगा है।

एमडी सुषमा अरोड़ा ने बताया कि पार्लर पर शुरुआत में दूध-जलेबी और पनीर पकौड़ा के साथ समोसे से की गई।इसके बाद डोसा-सांभर सहित अन्य प्रोडक्ट मिलना शुरू होंगे।साथ ही पार्लर पर पहले की तरह छाछ, दूध, लस्सी, घी, पनीर,आइसक्रीम, सॉफ्टी, श्रीखंड, पनीर सहित अन्य सरस के प्रोडक्ट मिलते रहेंगे।

आरसीडीएफ एमडी सुषमा अरोड़ा ने कहा कि डेयरी अधिकारियों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने, पीने का पानी, साफ सफाई और हरियाली डवलप करने के निर्देश दिए गए हैं।दरअसल जवाहर लाल नेहरु मार्ग स्थित सरस पार्लर कुछ समय पहले तक बच्चों और युवाओं में खासा लोकप्रिय था, लेकिन एक बड़ी संख्या में वाहनों की पार्किंग और वीआईपी आवागमन में बाधा के चलते डेयरी प्रबंधन को इसकी गतिविधियां सीमित करनी पड़ी थी। अब पार्लर एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में लौट आया है।पार्लर पर उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें आरसीडीएफ और जयपुर डेयरी के अधिकारी शामिल किए गए हैं।

साम्प्रदायिक सौहार्द्र भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुई घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा की, आमजन से शांति बनाए रखने की अपील

गृह राज्यमंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय दल को जोधपुर जाने के निर्देश

हिलव्यू समाचार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाली घटना से समाज में शांति एवं कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो अपराध में उसकी संलिप्तता पाये जाने पर उसे बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सभी समाज और धर्मों के लोग सभी त्योहारों को प्रेम और भाईचारे से मनाते आए हैं और विशेषकर जोधपुर अपनी अपनायत के लिए जाना जाता है। यह परंपरा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) हवासिंह घुमरिया को हेलिकॉप्टर से तत्काल जोधपुर जाने के निर्देश दिए। गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर जोधपुर और हाल में हुई इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस और प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

एलआईसी का आईपीओ का विरोध, कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

हिलव्यू समाचार

जयपुर। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ आज खुल गया है। जिसके लिए 9 मई तक निवेशक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आईओपी खुलने के साथ ही एलआईसी कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को जयपुर के एलआईसी ऑफिस पर कर्मचारियों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा की सरकार एलआईसी में रखा जनता के पैसे को चुनिंदा पूंजीपतियों को बाटना चाहती है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। नॉर्दन जून इंश्योरेंस एंपलाइज यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। जिससे न सिर्फ एलआईसी में काम करने वाले कर्मचारी, बल्कि उन लाखों निवेशकों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिनकी मेहनत की कमाई एलआईसी में जमा है। उन्होंने कहा कि एलआईसी मुनाफे में चल रही है। बावजूद इसके सरकार अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन लागू कर एलआईसी को पूरी तरह बेचना चाहती है। जिसका खिलाफ न सिर्फ जयपुर, बल्कि देशभर में विरोध किया जा रहा है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, एवं मुद्रक **रिज़वान एजाज़ी के लिए** अम्बर ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड, डी.एल. टॉवर, 3-ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र, जेएलएन मार्ग, जयपुर में मुद्रित एवं महिमा क्लासिक 601, बी-84, रमन मार्ग, तिलक नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित।
संपादक : शालिनी श्रीवास्तव, सह-संपादक: हरीश श्रीवास्तव (छबड़ा बारां) फोन : 0141-2620340 मो.: 9460678701, 7976561127 (21 जून 2014 से निरन्तर प्रकाशित) **hillviewsamachar@gmail.com**